वार्षिक रिपोर्ट

2008-2009

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ
I.	परिचय	1
II.	वर्ष एक नजर में	6
III.	सड़क विकास	12
IV.	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	28
V.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	36
VI.	अनुसंधान और विकास	40
VII.	सीमा सड़क संगठन	44
VIII.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	48
IX.	प्रशासन एवं वित्त	52
X.	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	56
XI.	सतर्कता	58
XII.	संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण	60
XIII.	विभागीय लेखा संगठन एवं ढांचा	62
XIV.	विविध	66
अनुबंध		
अनुबंध I	देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई	71
अनुबंध II	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII	73
अनुबंध III	2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन	75
अनुबंध IV	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण –III	77
अनुबंध V	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–क के अंतर्गत सड़कों का ब्यौरा	78
अनुबंध VI	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के संशोधित चरण–ख के अंतर्गत सड़कों की सूची	80
अनुबंध VII	सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज की सुपुर्दगी की विधि और ब्यौरा	85
अनुबंध VIII	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	87
अनुबंध IX	निःशक्त व्यक्ति	88
अनुबंध X	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि	89
अनुबंध XI	वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुदान	90
अनुबंध XII क	पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय लेन देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत	91
अनुबंध XII ख	2007–08 के दौरान धनराशि का प्रयोग	93

अध्याय–1

परिचय

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के प्रशासन; सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों आदि के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने और पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया है।

सड़क नेटवर्क

1.1.2 भारत का सड़क नेटवर्क 3.314 मिलियन कि.मी. है, जो विशालतम सड़क नेटवर्कों में से एक है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई निम्नवत है –

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	70,548 कि.मी.
राज्यीय राजमार्ग	1,28,000 कि.मी.
प्रमुख और अन्य जिला सड़कें	4,70,000 कि.मी.
ग्रामीण सड़कें	26,50,000 कि.मी.

1.1.3 कैरिजवे चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का आगे वर्गीकरण किया गया है। सामान्यतया, एकल लेन के मामले में लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर होती है जबकि बहु–लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में यह चौड़ाई 3.5 मीटर प्रति लेन होती है।

चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत इस प्रकार है –

एकल लेन/मध्यवर्ती लेन	20,849 कि.मी. (30%)
दोहरी लेन	37,646 कि.मी. (53%)
चार लेन/छह लेन/आठ लेन	12,053 कि.मी. (17%)

सड़क परिवहन

1.1.4 सड़कों से लगभग 60 प्रतिशत माल यातायात और 87.4 प्रतिशत यात्री यातायात होता है। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का केवल लगभग 2 प्रतिशत ही हैं, इन पर कुल सड़क यातायात का 40 प्रतिशत यातायात होता है। विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2001–2002 से 2005–06) के दौरान वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 10% की गति से वृद्धि होती रही है।

सन् 1950–51 में कुल माल यातायात और यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा क्रमशः 13.8% और 15.4% था और 2005–06 के अंत तक माल यातायात और यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा बढ़कर क्रमशः अनुमानतः 60% और 87.4% हो गया है। इसलिए वर्तमान तथा भावी यातायात और पृष्ठ भू–भागों तक सुगम्यता दोनों में सुधार के लिए सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा खपत में अधिक किफायत, प्रदूषण में कमी तथा बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए सड़क यातायात को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

1.1.5 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार का कार्य शुरू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरणबद्ध रूप में शुरू की गई थी, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को चरण–I और चरण–II से शुरु किया गया था जिनमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:–

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–I और II** में 2004 के मूल्यों पर लगभग 65,000 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से लगभग 14,000 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने की परिकल्पना की गई है । इन दोनों चरणों में स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग, पत्तन सड़क संपर्क और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली–मुंबई–चेन्नै–कोलकाता चार महानगरों को जोड़ने वाली 5846 कि.मी. लंबाई शामिल है। उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों में 7142 कि.मी.लंबाई शामिल है जो क्रमशः उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से (सलेम से कोचीन तक के स्कन्ध सहित) तथा पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में पत्तन सड़क संपर्क परियोजना भी शामिल है जिसमें देश के 12 महापत्तनों को जोड़ने के लिए 380 कि0मी0 लंबाई में सड़कों का सुधार कार्य और 962 कि0मी0 लंबी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

- सरकार ने 2,35,690 करोड़ रुपए के निवेश से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए चरणबद्ध रूप में 2005–2015 की अवधि के दौरान पूरा किए जाने वाले एक व्यापक कार्यक्रम की भी परिकल्पना की है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और चरण–II को पूरा करना; निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 12,109 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV के अंतर्गत 20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत 6,500 कि.मी. लंबे चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI के अंतर्गत 1000 कि.मी. लंबे एक्सप्रेसवे का विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े शहरों में 700 कि.मी. की लंबाई में रिंग रोड और बाइपास का निर्माण तथा

फ्लाईओवर, उत्थापित सड़कें, सुरंगों, अंडर पासों, ग्रेड सेपरेटिड इंटरचेंजिज आदि जैसी अन्य स्वतंत्र संरचनाओं का निर्माण शामिल है ।

1.1.6 उपर्युक्त कार्यक्रमों में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और चरण–II जो पहले अनुमोदित किए गए थे, के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है :–

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,109 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– IVक के अंतर्गत 6950 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) आधार पर एकल लेन/मध्यम लेन/दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की 5000 किमी. लंबाई में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना और सुदृढ़ीकरण ।
- राष्ट्रीय राजमार्गों की 6500 किमी. लंबाई, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की 5700 किमी. लंबाई शामिल है और शेष 800 किमी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्य खंडों की है, को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत 42,210 करोड़ रु0 की लागत से 6 लेन का बनाना ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत से नए संरेखण पर पूर्ण पहुंच नियंत्रण के साथ 1000 कि.मी. लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत से शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क सुधार, ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन, फ्लाई ओवर, उत्थापित राजमार्ग, आर ओ बी, अंडरपासों और सर्विस रोड सहित रिंग रोड का निर्माण ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी – एन ई)

1.1.7 इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क में सुधार की परिकल्पना की गई है । इस प्रस्तावित कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों (5104 किमी.) और राज्यीय सड़कों (4656 किमी.) की 9760 किमी. लंबी सड़कों का सुधार कार्य शामिल है जो चरण 'क', चरण 'ख' और सड़कों व राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत किया जाएगा। सरकार ने चरण–क जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 1959 किमी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 957 किमी. लंबाई शामिल है, चरण–ख जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 1673 किमी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 3152 किमी. लंबाई शामिल है, के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य तथा सड़कों एवं राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 1472 किमी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 847 किमी. लंबाई शामिल है, को अनुमोदित कर दिया है ।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की भागीदारी

1.1.8 विगत में अवसंरचना क्षेत्र में, विशेषतः राजमार्गों में सरकार द्वारा ही निवेश किया जाता था और यह मुख्यतः बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता, परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि, अनिश्चित प्रतिलाभ तथा इनसे जुड़े अनेक बाह्य कारकों की वजह से किया जाता था। संसाधनों की तेजी से बढ़ती आवश्यकता तथा प्रबंधन दक्षता के प्रति चिन्ता एवं उपभोक्ता की सजगता के फलस्वरूप हाल ही में निजी क्षेत्र की भी सक्रिय भागीदारी हुई है। सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट और सड़क निर्माण उपस्करों और मशीनरी इत्यादि के शुल्क मुक्त आयात जैसे कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–III से चरण–VII तक की सभी उप–परियोजनाएं मुख्यतः सार्वजनिक – निजी भागीदारी विधि से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) अथवा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर शुरू की जाएंगी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IVक

1.1.9 मंत्रिमंडल ने दिनांक 17.7.2008 को हुई अपनी बैठक में 6950.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) आधार पर एकल लेन/मध्यम लेन/दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की 5,000 किमी लंबाई को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाने/सुदृढ़ीकरण करने का कार्य अनुमोदित किया। 6950.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में से 4608.00 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से होंगे और 2342.00 करोड़ रुपए की धनराशि केन्द्र सरकार, अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण, सुविधाओं के स्थानांतरण, साध्यता अध्ययन करने आदि के लिए प्रदान करेगी। कार्यों को वर्ष 2011 तक सौंपे जाने और दिसंबर, 2013 तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– IVक का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य लोक निर्माण विभागों/राज्य सरकारों और केन्द्र सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जो परियोजना की लागत, परियोजना को निष्पादित करने के लिए संबंधित एजेंसी की क्षमता तथा तत्परता और परियोजना की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर प्रत्येक परियोजना के निष्पादन के लिए एजेंसी का निर्धारण करेगी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति, कार्यान्वयन की अन्य विधियों को अंतिम रूप प्रदान करने का भी कार्य करेगी ।

1.1.10 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IVक और अन्य चयनित खंडों को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाने के कार्य के कार्यान्वयन के लिए मुख्य अभियंता (एनएचडीपी– IVक) की अध्यक्षता में एक एनएचडीपी– IVक प्रकोष्ठ बनाया गया है ।

केन्द्रीय सड़क निधि

1.1.11 केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और हाई–स्पीड डीजल तेल पर एकत्रित उपकर से केन्द्रीय सड़क निधि नामक एक समर्पित निधि की स्थापना की है। इस समय पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल तेल पर उपकर दो रुपए प्रति लीटर की दर से वसूला जा रहा है। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार यह निधि, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय

सड़कों, ग्रामीण सड़कों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल उपरि पुलों/निचले पुलों (अन्डर ब्रिज) के विकास एवं अनुरक्षण तथा अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए वितरित की जाती है। 2.00 रुपए की वर्तमान दर से एकत्रित उपकर राशि का वितरण निम्नलिखित रूप से किया जाता है :–

(I) 1.50 रु0 प्रति लीटर की उपकर राशि इस प्रकार आबंटित की जा रही है :–

(क) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ।

(ख) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50% और पेट्रोल पर एकत्रित संपूर्ण उपकर का आबंटन उसके बाद इस प्रकार किया जाता है :–

- ऐसी धनराशि के 57.5% के बराबर धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए।
- 12.5% के बराबर धनराशि सड़कोपरि/निचले पुलों के निर्माण तथा फाटक रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए।
- 30% के बराबर धनराशि, राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए। इसमें से 10% धनराशि अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षित रखी जाती है।

(II) शेष 0.50 रु0 प्रति लीटर उपकर का आबंटन पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही किया जाता है।

1.1.12 यह मंत्रालय केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को धनराशि अनुमोदित करने और जारी करने, सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा, देश में सड़कों और पुलों के मानक और विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है ।

सड़क सुरक्षा

1.1.13 यह मंत्रालय, देश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाने की आवश्यकता भी महसूस करता है। सड़क सुरक्षा के तीन पहलू हैं अर्थात् इंजीनियरी, प्रवर्तन और शिक्षा। राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन स्तर पर ही इंजीनियरी से संबंधित पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। सड़क सुरक्षा प्रावधानों/नियमों के प्रवर्तन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें जिम्मेदार होती हैं। सड़क सुरक्षा के शिक्षा संबंधी पहलू पर ध्यान, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में अभियानों द्वारा दिया जाता है।

रा.रा.–11 के जयपुर–मथुरा खंड पर डीबीएम बिछाना

अध्याय II

वर्ष एक नजर में सड़क विकास

सड़क क्षेत्र

2.1 नए राष्ट्रीय राजमार्ग

2.1.1 वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 3,794 किलोमीटर लंबाई वाले 15 राज्यीय राजमार्गों/मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

स्वर्णिम चतुर्भुज

2.1.2 मार्च, 2009 के अंत तक स्वर्णिम चतुर्भुज के 5721 किलोमीटर (97.86%) में कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 125 किलोमीटर (2.14%) लंबाई में कार्य चल रहा है ।

उत्तर दक्षिण–पूर्व पश्चिम महामार्ग

2.1.3 31 मार्च, 2009 तक उत्तर – दक्षिण पूर्व – पश्चिम महामार्ग के 3436 किलोमीटर में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा हो गया है और 2915 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना–।।।

2.1.4 31 मार्च, 2009 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण।।। के अंतर्गत 787 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा हो गया है और 1878 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – IV क

2.1.5 31 मार्च, 2009 तक, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– **IV** क के अंतर्गत 5228 किलोमीटर लंबाई के लिए व्यवहार्यता अध्ययन हेतु 40 बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – V

2.1.6 31 मार्च, 2009 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत 106 किलोमीटर लंबाई में 6 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और 928 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है ।

बी ओ टी (पथकर) परियोजनाएं

2.1.7 अभी तक लगभग 38168.04 करोड़ रुपए लागत मूल्य की 94 परियोजनाएं (69 एनएचएआई+25, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी–पथ कर आधारित परियोजनाएं) सौंपी गईं हैं। इनमें से 43 परियोजनाएं (18 एनएचएआई + 25, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) पूरी हो गई हैं और 51 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

बी ओ टी (वार्षिकी) परियोजनाएं (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंड)

2.1.8 वार्षिकी आधार पर, 1376.22 किलोमीटर लंबाई वाली 25 परियोजनाएं शुरू की गईं हैं और इनमें से 561 किलोमीटर लंबाई वाली 9 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

2.1.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मंत्रालय ने विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अधीन अलग–अलग उप परियोजनाओं के अनुमोदन और समन्वय के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया है। इस समिति ने 31 मार्च, 2009 तक, इस कार्यक्रम के चरण – क के अंतर्गत 3221 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 1055 किलोमीटर लंबाई वाली विभिन्न उप परियोजनाओं को अनुमोदित किया है ।

केन्द्रीय सड़क निधि

2.1.10 पेट्रोल और हाई–स्पीड डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर का उपकर लगाने से प्राप्त धनराशि में से राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विकास के लिए 9144.11 करोड़ रूपए (6972.47 करोड रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं और 2171.64 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़कों को छोड़कर राज्यीय सड़कों के लिए) की धनराशि प्रदान की गई है। वर्ष 2008–09 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए 185.74 करोड़ रूपए की धनराशि आबंटित की गई है।

सड़क परिवहन

2.1.11 इस मंत्रालय ने एन आई सी के परामर्श से 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के राष्ट्रीय रजिस्ट्रार और राज्यीय रजिस्ट्रारों के सृजन की एक परियोजना शुरू की है। एन आई सी ने इस परियोजना पर पहले ही आवश्यक कार्य शुरू कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2008–09 के दौरान एनआईसी को 69.76 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

2.1.12 10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली ने स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र/ ड्राईविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। 33 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने प्रायोगिक परियोजना पहले ही कार्यान्वित कर दी है।

2.1.13 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 11वीं बैठक 28 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों, सचिव/आयुक्त (परिवहन), परिवहन परिचालन संगठनों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और सड़क सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया ।

2.1.14 15–5–2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत मोटर यान (संशोधन) विधेयक जांच के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग संबद्ध संसदीय स्थाई समिति को भेजा गया। समिति ने 28–4–2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों की विस्तार से जांच की गई और इस विधेयक में कतिपय आशोधनों को शामिल करने के लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था। तथापि, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की इच्छा के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों की व्यापक रूप से समीक्षा की जा रही है।

2.1.15 सचिवों की समिति ने दिनांक 4–3–2008 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए सुन्दर समिति की रिपोर्ट को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। व्यय वित्त समिति ने 3–12–2008 को अपनी बैठक में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा निधि के सृजन और एक सावंधिक निकाय के सृजन की सिफारिश की है। बोर्ड के सृजन के लिए कैबिनेट नोट के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है और दिनांक 11–2–2009 को यह नोट सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है।

2.1.16 1–4–2010 से 11 महानगरों नामतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, हैदराबाद/सिकन्दराबाद, कानपुर, पुणे, सूरत और आगरा पर लागू होने वाले भारत स्टेज IV उत्सर्जन मानक 9–2–2009 को अधिसूचित कर दिए गए हैं । इस अधिसूचना में यह भी परिकल्पना की गई है कि भारत स्टेज III उत्सर्जन मानक, देश के शेष हिस्सों में इसी तारीख से प्रभावी हो जाएंगे ।

2.1.17 इस विभाग द्वारा पहले तैयार किए गए नीतिगत प्रलेख (डाक्यूमेंट) के मसौदे पर प्राप्त सुझाव/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को अंतिम रूप देने के लिए अक्तूबर, 2006 में श्री थंगाराज, पूर्व प्रधान सचिव (परिवहन), कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने मार्च, 2008 में एक राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति तैयार की और उसकी सिफारिश की। इस नीति को अपनाने के लिए एक कैबिनेट नोट के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया और 18–12–2008 को यह नोट सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया।

2.1.18 अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के तत्वाधान में ट्रांसपोर्टरों ने 5–1–2009 से 12–1–2009 तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप ट्रांसपोर्टरो ने बिना किसी शर्त के 12–1–2009 की शाम से अपनी हड़ताल वापस ले ली। इससे पहले ट्रांसपोर्टर जुलाई, 2008 में भी हड़ताल पर गए थे और उस समय उनकी सभी शिकायतों का उपयुक्त रूप से समाधान कर दिया गया था।

2.1.19 अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुपालन में राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को सुसंगत बनाने तथा मोटरयानों पर करों को युक्तियुक्त बनाने के लिए सचिव (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) की अध्यक्षता में दिनांक 21–1–2009 को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के वित्त सचिव और पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के परिवहन आयुक्त; अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चार प्रतिनिधि; प्रबंध निदेशक, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया; सलाहकार (परिवहन अनुसंधान) और संयुक्त सचिव (परिवहन) शामिल हैं।

2.1.20 माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 6–8–2008 को हुई राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक में सुन्दर समिति द्वारा संस्तुत की गई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का समर्थन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया। इस नीति को अपनाने के लिए एक कैबिनेट नोट का मसौदा 11–2–2009 को सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया है ।

2.1.21 1 से 7 जनवरी, 2009 तक देश भर में 20वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसका विषय था 'सावधानी से चलें, सकुशल पहुंचें'।

सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए 100 गैर सरकारी संगठनों को कुल 1.80 करोड़ रुपए की राशि का सहायता अनुदान प्रदान किया गया ।

2.1.22 विवेच्य वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण योजना के अधीन 70700 चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 77 गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

2.1.23 वर्ष 2008–09 के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को 25 (10 टन) क्रेनें, 21 लघु/मध्यम आकार की क्रेनें और 72 एंबुलेंस मंजूर की गईं ।

2.1.24 देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ करने के लिए संशोधित योजना को योजना आयोग ने सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। व्यय वित्त समिति के विचारार्थ एक नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.1.25 मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आदर्श चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना के लिए एक संशोधित योजना भी तैयार की है। योजना आयोग ने इसे सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया है। व्यय वित्त समिति के विचारार्थ एक नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

2.1.26 वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 1700 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 78 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

मुख्य पहलें

- 5–12–2008 को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 अधिसूचित की गई ।

- तकनीकी बेंचमार्क और मानकों को इष्टतम रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से 4 लेन और 6 लेन बनाने के मानकों और विनिर्देशों के मैनुअल की समीक्षा की जा रही है और इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि परियोजना लागत युक्तियुक्त बन सके और परियोजना की व्यवहार्यता में भी वृद्धि हो सके।

- वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से राष्ट्रीय राजमार्गों की सुपुर्दगी के वैकल्पिक तरीकों पर मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अंतर मंत्रालयी समूह और सचिवों की समिति द्वारा बीओटी (वार्षिकी) के लिए अनुमोदित एमसीए को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- भारत में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए दिसंबर, 2008 में परामर्शी सेवा कार्य सौंपा गया है। परामर्शी सेवा की कुल संस्वीकृत लागत 59.66 लाख रुपए है। इस अध्ययन को जुलाई, 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परामर्शी सेवाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क को स्थापित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। इसमें वर्ष 2012, 2017 और 2022 तक पूरा करने के लिए अलग–अलग चरणों को प्राथमिकता क्रम देते हुए 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात वर्ष 2022 के लिए एक्सप्रेस महामार्गों की पहचान करना है।

- सरकार ने बी ओ टी (पथकर) और बी ओ टी (वार्षिकी) आधार पर 6950 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर एकल/मध्यवर्ती/दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की 5,000 किलोमीटर लंबाई का पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए जुलाई, 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण IVक अनुमोदित की। इसमें से कम से कम 4,000 किलोमीटर लंबाई बी ओ टी (पथकर) विधि पर क्रियान्वित की जानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IVक को दिसंबर 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रयोजन से और पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन का बनाए जाने के लिए अन्य चयनित खंडों के विकास के लिए मंत्रालय में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण IVक कक्ष (प्रकोष्ठ) स्थापित किया गया है ।

- वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 70,548 किलोमीटर लंबाई में से राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 20,849 किलोमीटर खंड, 2 लेन मानकों से भी कम हैं। 11वीं और 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के इन खंडों को न्यूनतम 2 लेन मानकों तक चौडीकरण के लिए जोर दिया जाना है।

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा लेबल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरि पुलों/सड़क अंडर ब्रिजों के निर्माण, कमजोर/क्षत विक्षित और संकरे पुलों का पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण/ चौड़ीकरण के साथ–साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिसिंग लिंकों और मिसिंग पुलों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना है।

- सीमा प्रबंधन विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा पाकिस्तान, नेपाल, बंग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रस्तावित रूप से विकसित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय जांच चौकियों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क संपर्कों के विकास/उन्नयन के कार्य को, सीमा प्रबंध विभाग की प्राथमिकता के अनुसार चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

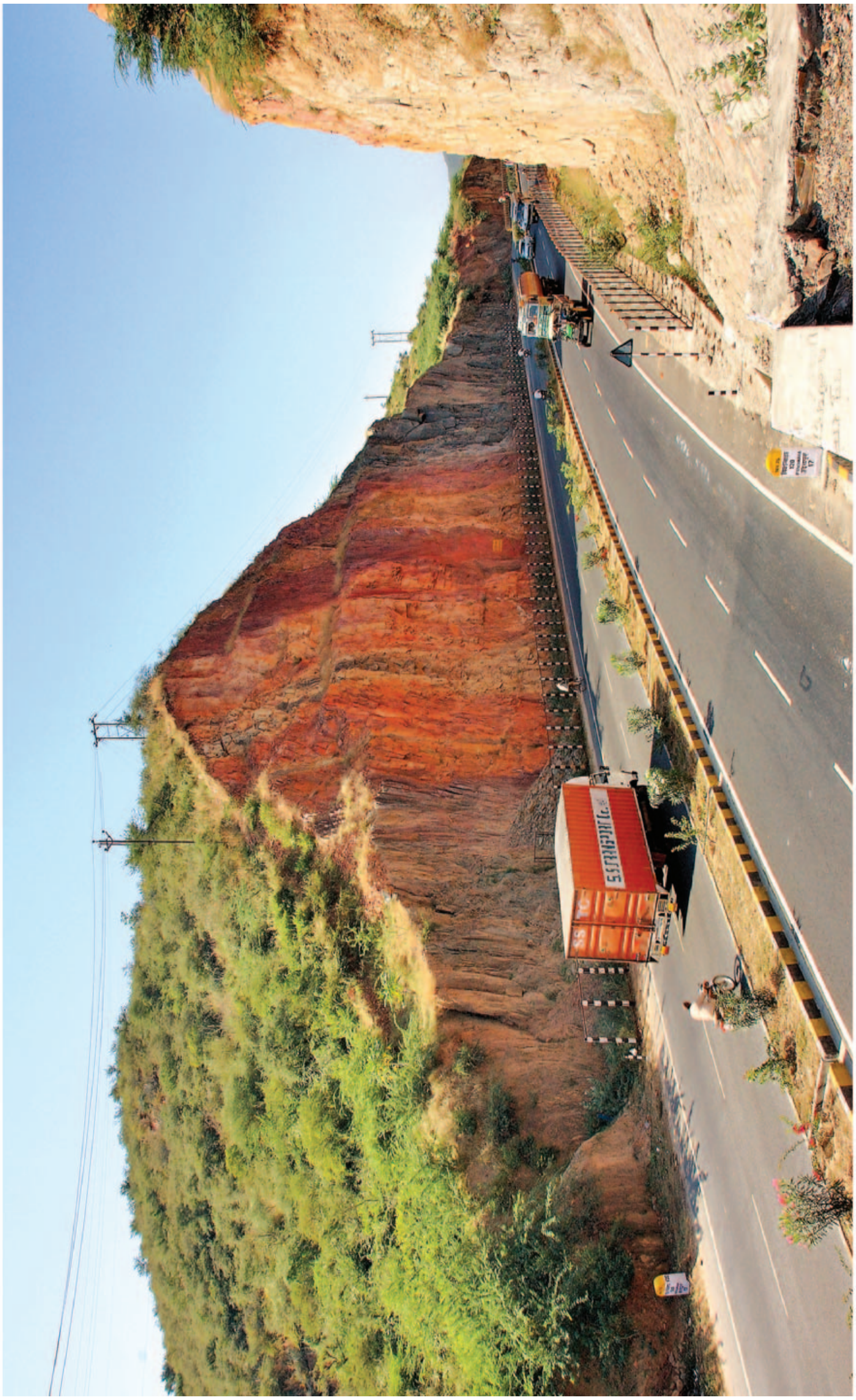

रारा–76 का उदयपुर–चित्तौड़ खंड

अध्याय–III

सड़क विकास

राष्ट्रीय राजमार्गों जिनके लिए भारत सरकार संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है, की लंबाई 70,548 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य–वार सूची **अनुबंध – क** में दी गई है।

3.1.2 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता बाध्यता, पेवमेंन्ट क्रस्ट, ज्यामितीय और सुरक्षा कारकों जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर आवश्यकता के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देकर विद्यमान राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलों के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। हालांकि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन प्रदान कर रही है और इसने उच्च सघनता वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए मुख्य पहल की हैं, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त निधियां आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। सड़क विकास के भौतिक कार्यक्रमों और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली निधियों से कुछ हद तक मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर के कम होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

3.1.3 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण–IV को छोड़कर) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

3.1.4 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तथापि, राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार केन्द्रीय सड़क निधि से अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत कुछ चुनिंदा राज्यीय सड़कों के लिए भी निधियां प्रदान करती है। यह मंत्रालय, सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा, देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक व विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

संगठनात्मक ढांचा

3.1.5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन, इसमें निहित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। फरवरी, 1995 में इसके प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ इसका प्रचालन शुरू हुआ।

3.1.6 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख एक अध्यक्ष हैं और उनके अधीन पाँच पूर्णकालिक सदस्य हैं। ये सदस्य हैं – सदस्य (प्रशासन), सदस्य (वित्त), दो सदस्य (तकनीकी) और एक सदस्य (पीपीपी)। प्राधिकरण के चार अंशकालिक (पदेन) सदस्य हैं। ये हैं– सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सचिव, व्यय विभाग, सचिव, योजना आयोग महानिदेशक (सड़क विकास) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हैं। इन सदस्यों के कार्य में मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप–महाप्रबंधक और प्रबंधक स्तर के अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन

3.1.7 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.7.2007 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदित किया था। इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

I. पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 और अंशकालिक सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर से 6 करना।

II. अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक नियत करना।

III. मुख्य महाप्रबन्धक स्तर के 26 पदों का सृजन करना।

IV. बाह्य विशेषज्ञों को कार्य देने के लिए प्राधिकरण को शक्ति प्रत्यायोजित करना।

V. प्राधिकरण में विभिन्न विशिष्ट प्रकोष्ठों का सृजन करना।

VI. एक लंबे समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्थायी कर्मचारियों का एक कोर बनाना।

3.1.8 प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों और कॉरीडोर प्रबंधन यूनिटों के रूप में फैले हैं। इन इकाइयों के प्रमुख परियोजना निदेशक हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन और पूर्ण हो गए खंडों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। सिविल ठेकेदारों, पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं आदि से संबंधित सभी प्रापण (प्रोक्यूरमेंटस) मुख्यालय कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए परियोजना निदेशक भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण सहित निर्माण पूर्व कार्यों और केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

3.1.9 भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 2,35,690 करोड़ रु0 के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों में फैली एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो 2015 तक पूरी की जानी है, के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है। अप्रैल, 2007 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत शुरु की जाने वाली सभी नई परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर शुरु

किया जाएगा। सबसे पहले इन्हें बी ओ टी (पथकर) आधार पर सौंपा जाएगा, इसके विफल होने पर इसे बी ओ टी (वार्षिकी) आधार पर सौंपा जाएगा और इसके भी विफल होने पर सरकार के अनुमोदन से इसे इंजीनियरी, प्रापण निर्माण (ईपीसी) आधार पर सौंपा जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्त प्रबंध

3.1.10 वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए 28,083 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 31 मार्च, 2009 तक 17,570.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–। और ।।

3.1.11 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण –। और चरण–।। में निम्नलिखित मार्गों का 4/6 लेन के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास करना शामिल है:–

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज : इसमें चार महानगरों अर्थात् दिल्ली – मुम्बई – चेन्नै – कोलकाता को आपस में जोड़ना।

(ख) उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग : इनमें और श्रीनगर को सलेम–कोचीन खंड सहित कन्याकुमारी से और पोरबन्दर को सिलचर से जोड़ना।

(ग) देश के मुख्य पत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क संपर्क प्रदान करना।

(घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंड।

3.1.12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–। को 30,300 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2000 में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीइए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5846 कि.मी., उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्गों के 981 कि.मी., पत्तन संपर्क के 356 कि.मी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 315 कि.मी. को मिलाकर कुल 7498 कि.मी. शामिल है । वर्ष के दौरान, मार्च, 2009 तक 132 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया।

3.1.13 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। को 34,339 करोड़ रुपए (2002 के मूल्यों पर) अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2003 में अनुमोदित किया गया था। इसमें मुख्यतः, उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्ग के 6,240 कि.मी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 496 कि.मी. को मिलाकर कुल 6736 कि.मी. लंबाई शामिल है । वर्ष के दौरान, मार्च, 2009 तक 1534 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण –III

3.1.14 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण –III के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 12,109 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया है। यह चरण दो भागों अर्थात् चरण–IIIक और चरण–IIIख में अनुमोदित किया है। चरण IIIक में 33,069 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर कुल 4,815 कि.मी. लंबाई शामिल है और चरण IIIख में 47,557 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर 7,294 कि.मी. लंबाई शामिल है । चरण–IIIक और चरण–IIIख के कार्य को पूरा करने की तारीख क्रमशः दिसंबर, 2009 और दिसंबर, 2013 है। इस चरण के अंतर्गत निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार खंडों की पहचान की गई है :–

(I) चरण I और II में शामिल न किए गए उच्च घनत्व वाले यातायात कॉरीडोर।

(II) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण– I और II) के साथ राज्य राजधानियों को सड़क संपर्क प्रदान करना।

(III) पर्यटन केन्द्रों और आर्थिक महत्व के स्थानों को सड़क संपर्क प्रदान करना।

31 मार्च, 2009 तक 12,109 कि.मी. की कुल लंबाई में से 787 कि.मी. की लंबाई में 4 लेन पहले ही बना दी गई हैं और 1,878 कि.मी. लंबाई में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान 589 कि.मी. का कार्य सौंपा गया है और 376 कि.मी. में कार्य पूरा हो गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– IV

3.1.15 इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत लगभग 20,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोलडर सहित 2 लेन उन्नयन की परिकल्पना की गई है। इस चरण को सरकार द्वारा जुलाई, 2008 में अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित 20,000 कि.मी. लंबाई जिसे पांच–पांच हजार के खंडो में चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाना है, में से प्रथम चरण अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IVक का कार्यान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कर रहा है। इस चरण में एकल लेन/मध्यम लेन/दो लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के 5,000 कि.मी. का बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) आधार पर पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IVक के अंतर्गत मार्च, 2009 तक 5228 कि.मी. लंबाई के साध्यता अध्ययनों के लिए 40 निविदाएं आमंत्रित की गई हैं जिनमें से 1670 कि.मी. लंबाई के लिए 13 निविदाएं परामर्शदाताओं को सौंप दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राजस्थान में रारा–8 के ब्यावर–गोमती खंड के विकास कार्य के लिए चयनित निविदादाता मै0 आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लि0 (आईटीएनएल) को कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) जारी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– V

3.1.16 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डी बी एफ ओ) आधार पर मौजूदा 4 लेन वाले 6,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन बनाने के कार्य को अक्तूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया है। 6 लेन बनाए जाने वाले 6,500 कि.मी. में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,700 कि.मी. और अन्य खंडों के 800 कि.मी. शामिल हैं।

3.1.17 राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,500 कि.मी. में से 1,030 कि.मी. लंबाई में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, मार्च, 2009 तक 106 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है। 1410 कि.मी. में 6 लेन बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति को भेज दिया गया है।

3.1.18 1,405 कि.मी. की साध्यता रिपोर्टें पहले ही तैयार कर ली गई हैं। 1493 कि.मी. लंबाई के लिए साध्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए परामर्शी कार्य सौंप दिया गया है और 895 कि.मी. के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – VI

3.1.19 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI में डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन पद्धति का अनुसरण करके सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत 1000 कि.मी. लंबे पूर्णतः पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों के विकास की परिकल्पना की गई है। इस चरण में वडोदरा–मुंबई, दिल्ली–मेरठ, बेंगलुरु–चेन्नै और कोलकाता–धनबाद खंडों को जोड़ने वाले एक्सप्रेस मार्ग शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण– VI को 16680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नंवबर, 2006 में अनुमोदित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वडोदरा–मुम्बई एक्सप्रेस मार्ग के लिए साध्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई की है ।

3.1.20 इस चरण के लिए कुल निधि आवश्यकता 16,680 करोड़ रुपए है । इसमें से 9,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से प्राप्त होंगे और अर्थक्षमता अंतर को पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, परामर्श आदि की लागत को पूरा करने के लिए शेष 7,680 करोड़ रुपए की फंडिंग सरकार द्वारा की जाएगी। इस संपूर्ण परियोजना को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII

3.1.21 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत बी ओ टी (पथकर) विधि से 16680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2007 में स्टैंड अलोन रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटरों, फ्लाइओवरों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, सड़क उपरिपुलों, अंडर पासों, सर्विस रोडों आदि के निर्माण को अनुमोदित किया है। विभिन्न राज्यों में 36 खंडों जिनका ब्यौरा **अनुबंध– ।।** में दिया गया है, में कार्य शुरु करने का प्रस्ताव किया गया है।

- चेन्नै पत्तन उत्थापित महामार्ग (18 कि.मी.) के प्रस्ताव को सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- हब्बल फ्लाईओवर और देवनहल्ली (22 कि.मी.) के बीच रारा–7 के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, धनबाद, पटना, विशाखापट्टनम, मदुरै और तिरुवनंतपुरम में 10 रिंग रोडों/बाइपासों और रांची में स्टेंडअलोन ग्रेड सेपरेटर के लिए साध्यता अध्ययन शुरू किया गया है।

3.1.22 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों की 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार पूर्ण की गई लंबाईयों की समग्र स्थिति नीचे तालिका :–3.1 में दर्शाई गई हैः–

तालिका 3.1

चरण	कुल लंबाई (कि.मी. में)	पूर्ण की गई लंबाई (कि.मी. में)	01–04–2008 से 31–03–2009 के दौरान पूरी की गई लंबाई	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
I स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम महामार्ग, पत्तन संपर्क और अन्य	7,498	7,188	132	
II उत्तर दक्षिण – पूर्व पश्चिम महामार्ग, अन्य खंडों को 4/6 लेन का बनाना	6,647	2,828	1534	दिसंबर, 2009
III उन्नयन, 4/6 लेन बनाना	12,109	787	376	दिसंबर, 2013
IV पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन बनाना	20,000	–	–	दिसंबर, 2015 (वित्त–पोषण योजना के अनुसार)
V स्वर्णिम चतुर्भज और उच्च घनत्व वाले कॉरिडोर को 6 लेन का बनाना	6,500	106	106	दिसंबर, 2012
VI एक्सप्रेस मार्ग	1,000	शून्य	शून्य	दिसंबर, 2015
VII रिंग रोड, बाइपास, फ्लाईओवर और अन्य संरचनाएं	रिंग रोड/बाइपास + फ्लाईओवर आदि के 700 कि.मी.	शून्य	शून्य	दिसंबर, 2014

वर्ष के दौरान आबंटित कार्य

3.1.23 वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के कुल 10,640 कि.मी. सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। के अंतर्गत 30 कि.मी. लंबाई सौंपी गई, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।।। के अंतर्गत 589 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत 4.4 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत 19 कि.मी. लंबाई में कार्य सौंपा गया।

जनवरी, 2009 और फरवरी, 2009 के महीने में सौंपी गई परियोजनाओं का ब्योरा नीचे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है :–

तालिका–3.2

क्र. सं.	खंड/कि.मी. . . से . . कि.मी. तक/पैकेज	द्वारा वित्त पोषित	रारा सं0	लंबाई (कि.मी.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु0)	सौंपी गई लागत/बीओटी अनुदान/वार्षिकी भुगतान (करोड़ रु0)	स्वीकृति पत्र जारी किया गया	ठेकेदार का नाम/राष्ट्रीयता/डीपीआर परामर्शदाता
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II उत्तर–दक्षिण								
1	वडक्कनचेरी–त्रिसूर खंड को 6 लेन का बनाना	बीओटी	47	30	617	धनात्मक अनुदान 243.99 करोड़ रू0	27.2.2009	मै0 केएमसी–सीआर 18जी कंसोर्टियम इंडियन–चायना
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III								
1	पुणे–शोलापुर पैकेज–1 कि.मी. 40.000 से कि.मी. 144.400	बीओटी	9	110.05	1110.0	+299.00 करोड़ रू0 वीजीएफ * के रूप में	17.2.2009	नवीनया बिल्डकॉन अटलांटिया स्पा(जे वी) इंडियन
2	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा–सूरत–हजीरा पत्तन खंड	बीओटी	6	132.9	1509.1	556 करोड़ रू0 की वीजीएफ * के साथ 1509.10	18.2.2009	आइसोलक्स–सोमा कंसोर्टियम स्पेन–इंडियन
3	पिंपलगांव–नासिक–गोंडे कि.मी. 380.00 से कि.मी. 440.00	बीओटी	3	60	940		15.1.2009	मै0 एल एंड टी–एबीएल कंसोर्टियम इंडियन
4	मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा–धुले कि.मी. 168.500 से कि.मी. 265.00	बीओटी	3	98	835		15.1.2009	मै0 एचसी–लैंग–सदभाव कंसोर्टियम इंडियन
5	कुडप्पा–मैयदूकुर–कुरनूल	बीओटी	18	188.75	1585		26.2.2009	मै0 केएमसी–आईवीआरसीएल कंसोर्टियम इंडियन
			जोड़	589.7	5979.1	1808.1		

+ वीजीएफ–सरकारी बजटीय सहायता से अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण								
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V								
1	बदरपुर उत्थापित राजमार्ग	बीओटी	2	4.40	340.0		27.6.08	मै0 बीएफटीएल, इंडियन
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– VII								
1	चेन्नै पत्तन से मदुरावोयल तक 4 लेन की नई उत्थापित सड़क	बीओटी	4	19	1655		06.1.09	सोमा एंटरप्राइजेज लि0 इंडियन

कॉरीडोर प्रबंधन

3.1.24 कॉरीडोर प्रबंधन प्रभाग द्वारा राश्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों का अनुरक्षण और प्रचालन निम्नलिखित जिम्मेदारियों के साथ किया जाता है :–

(i) नेमी और आवधिक अनुरक्षण

(ii) सड़क संपत्ति प्रबंधन

(iii) घटना प्रबंधन

(iv) इंजीनियरी सुधार

(v) पथकर शुल्क वसूली

(vi) मार्गस्थ सुविधाएं

पथकर व्यवस्था

3.1.25 वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 2003 कि.मी. लंबाई पर पथकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष के दौरान, 1262.51 कि.मी. को पहले ही पथकर के अंतर्गत लाया जा चुका है। इसके अलावा, वर्ष 2008–09 के लिए राजस्व लक्ष्य 1600 करोड़ रु0 है और प्रयोक्ता शुल्क के रूप में 1703 करोड़ रु0 संग्रहीत किए गए हैं। टॉल मैनेजमेंट और राजस्व सग्रहण में सुधार लाने के लिए मॉडर्न टॉलिंग उपस्कर उपयोग किए जा रहे हैं इनमें सी सी टी वी, स्मार्ट कार्ड, वे–इन–मोशन और अन्य साफ्टवेयर शामिल हैं।

शहरी परिवहन सुधार परियोजनाएं

3.1.26 4 ग्रेड सेपेरेटर परियोजनाओं के निर्माण सहित चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के पहुंच मार्गों का सुधार कार्य प्रगति पर है। स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ चेन्नै शहर के सड़क संपर्क में सुधार लाने के लिए ग्रेड सेपरेटरों के निर्माण सहित स्वर्णिम चतुर्भुज के पहुंच मार्गों के सुधार की परियोजना प्रारंभ की गई है। इससे शहर के साथ सड़क संपर्क में सुधार होगा।

3.1.27 सिल्क बोर्ड जंक्शन के साथ इलैक्ट्रानिक सिटी को जोड़ने के लिए बेंगलूरू शहर में उत्थापित एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई योजना

3.1.28 परियोजनाओं, विशेषकर बी ओ टी आधार पर चलाई जाने वाली परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कार्यान्वयन प्रणाली को सुगम बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों को पी पी पी ए सी/आर एफ क्यू/आर एफ पी संबंधी सरकारी प्रक्रियाओं के प्रति सुग्राही (सेंसिटाइज) बनाया गया है। सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं ।

राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन

3.1.29 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, लगभग 50,952 कि.मी. लंबे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विकास और अनुरक्षण कार्य इस समय संबंधित लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सड़क खंडों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, के संबंध में वर्ष 2008–09 के दौरान 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुल मिलाकर 4,579.14 करोड़ रु. के 702 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं।

3.1.30 चालू वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 2853.74 करोड़ रु. और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 650.00 करोड़ रु. की धनराशि का आबंटन किया गया है । 2853.74 करोड़ रुपए के अतिरिक्त,

राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि से 90.00 करोड़ रु0 की धनराशि आबंटित की गई है ।

3.1.31 वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए क्रमशः 947.97 करोड़ रु. और 26.35 करोड़ रु0 की धनराशि का आबंटन किया गया है ।

3.1.32 वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किया गया राज्यवार आबंटन **अनुबंध –III** में दिया गया है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

3.1.33 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और दूर–दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 5104 कि.मी.राष्ट्रीय राजमार्गों में दो/चार लेन बनाए जाने तथा राज्यीय सड़कों की लगभग 4656 कि.मी.में दो लेन बनाए जाने/सुधार करने की परिकल्पना की गई है । इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 85 जिला मुख्यालयों को दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों/दो लेन की राज्यीय सड़कों से जोड़ा जाना सुनिश्चित हो जाएगा ।

3.1.34 इस कार्यक्रम को चरण 'क' और चरण 'ख' तथा सड़कों एवं राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज में विभाजित किया गया है ।

चरण 'क'

3.1.35 इस चरण में 16,286 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से सड़कों की 2616 कि.मी.का सुधार कार्य शामिल है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 1,959 कि.मी.लंबाई और राज्यीय सड़कों की 657 कि.मी.लंबाई शामिल है । 2616 कि.मी.लंबाई में से 1400 कि.मी.लंबाई के लिए 4285 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत के विकास कार्य सीमा सड़क संगठन और राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए हैं । शेष 1216 कि.मी.लंबाई में से 824 कि.मी.लंबाई में कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, ईटानगर को 4 लेन सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 150 कि.मी.लंबाई में कार्य मंत्रालय/अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा और रारा–31ए का सुधार कार्य तथा वैकल्पिक राजमार्ग से गंगटोक तक 242 कि.मी.लंबाई में कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा । 824 कि.मी. लंबाई में से 330 कि.मी. में निर्माण कार्य बोलियां आमंत्रित करके किया जाएगा और शेष 494 कि.मी. में कार्य बी.ओ.टी. (वार्षिकी) आधार पर किया जाएगा । मार्च, 2009 तक उपर्युक्त 1400 कि.मी.में से, 3221 करोड़ रु0 की लागत पर 1055 कि.मी. लंबाई वाली परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं और कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं । चरण 'क' को वर्ष 2012–13 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

चरण 'ख'

3.1.36 इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों के 1673 कि.मी. को दो लेन का बनाया जाना और राज्यीय सड़कों के 3152 कि.मी. को दो लेन का बनाया जाना/सुधार कार्य शामिल है । चरण ख को केवल डीपीआर तैयार किए जाने हेतु ही अनुमोदित किया गया है और निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा अभी लिया जाना है ।

सड़कों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज

3.1.37 सड़कों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज, जिसमें सड़कों की 2319 कि.मी. लंबाई शामिल है, को सरकार द्वारा 9 जनवरी, 2009 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर अनुमोदित किया गया । इसमें से 776 कि. मी. में कार्य को बी.ओ.टी. (वार्षिकी) आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 1543 कि.मी. के कार्य को ईपीसी आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । मंत्रालय द्वारा बीओटी (वार्षिकी) के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले खंड के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित किए गए हैं और मंत्रालय द्वारा 718 कि.मी. के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) जारी कर दिए गए हैं । निष्पादन एजेंसियों द्वारा ईपीसी आधार पर कार्यान्वित किए जाने वाले सड़क खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

कठिनाइयां

3.1.38 उपर्युक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय कई कठिनाइयां सामने आईं जो निम्नवत हैं –

- **भूमि अधिग्रहण** – कुछ राज्यों में, प्रक्रियागत औपचारिकताओं, न्यायिक मामलों तथा संबंधित राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलंब हुआ है ।
- **वन एवं पर्यावरण अनुमतियां** – केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ही स्तरों पर वन अनुमतियां प्राप्त करने में काफी विलंब हुआ है ।
- **आर ओ बी डिजाइनों के लिए रेलवे की अनुमति** – स्वर्णिम चतुर्भुज को रेलवे की लेवल क्रासिंग से मुक्त करने के लिए 84 रेल उपरि पुल तथा रेल निचले पुल बनाए जाने थे । रेलवे से अनुमतियां/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रेलवे के ही कई विभागों से संपर्क करना पड़ता है और इस प्रकार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है ।
- **सुविधाओं का स्थानांतरण** – विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे इलैक्ट्रिक लाइन, पानी के पाइप लाइन, सीवर लाइन, दूर संचार लाइनों का स्थानान्तरण कार्य जो संबंधित सुविधा प्रदाता एजेंसियों की सहायता से किया जाना होता है, में बहुत अधिक समय लगा ।
- **कानून–व्यवस्था की समस्या** – कानून–व्यवस्था की बदतर स्थिति तथा समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के कारण कई राज्यों में कार्य प्रभावित होते हैं । इसके अतिरिक्त, स्थानीय जनता द्वारा अतिरिक्त भूमिगत पारपथों/बाइपासों, उपरिपुलों की मांग किए जाने के कारण बार–बार काम रूक जाना भी सामान्य बात है ।

- **कुछ ठेकेदारों का निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन** – कुछ ठेकेदारों का कार्य निष्पादन बहुत खराब रहा है । इस खराब कार्य निष्पादन का मुख्य कारण नकदी प्रवाह की समस्या रही है । इन ठेकों को समाप्त किए जाने के कारण लंबे–लंबे मुकदमें चले और कार्य पूरा करने में और अधिक विलंब हुआ ।

केन्द्रीय सड़क निधि

3.1.39 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के लिए 14,150.00 करोड़ रु0 के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया है:–

तालिका 3.3

केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन

(करोड़ रु.)

1.	राज्यीय सड़कों के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान	2171.64
2.	अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान	185.74
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	6972.47
4.	ग्रामीण सड़कें	4046.25
5.	रेलवे	773.90
6.	**जोड़**	**14150.00**

3.1.40 केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के लिए नियत की गई निधियां को बाद में विभिन्न राज्यों को 60 प्रतिशत ईंधन की खपत और 40 प्रतिशत राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आबंटित की जाती हैं ।

3.1.41 वर्श 2000–01 से 2008–09 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सड़कों के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है –

तालिका 3.4

आबंटित और जारी की गई धनराशि

वर्ष	2000–01		2001–02		2002–03	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	**2003–04**		**2004–05**		**2005–06**	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	910.76	778.94	868.00	607.40	1535.36	1299.27

वर्ष	2006–07		2007–08		2008–09	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	1535.46	1462.29	1565.32	1322.19	2171.64	2122.00

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए अनुमोदन

3.1.42 वर्ष 2008–09 के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 5126 करोड़ रुपए की लागत वाले 1313 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित कार्य शामिल नहीं किए गए हैं ।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं

3.1.43 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन के पहले से विद्यमान थी । उस समय केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल कम धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्वीकृत किए जाते थे । अब इस योजना को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित कर दिया गया है । अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण (ऋण की बजाए) किया जाता है । आर्थिक महत्व की योजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50–50 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता है ।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृति

3.1.44 वर्ष 2008–09 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 185.74 करोड़ रु0 की धनराशि निर्धारित की गई । वर्ष 2008–09 के दौरान 384.38 करोड़ रु0 के केन्द्र के हिस्से के साथ 465.57 करोड़ रु0 वाले कुल 47 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

व्यापक कार्यकलाप :

3.1.45 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान (निथि), नोएडा (उत्तर प्रदेश), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी है । यह केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों का एक सहयोगी निकाय है । देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी ।

3.1.46 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के व्यापक कार्यकलाप इस प्रकार हैं –

(क) नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना ।

(ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

(ग) वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना ।

(घ) राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(ङ.) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास ।

3.1.47 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से लेकर 31 मार्च, 2009 तक 717 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सड़क विकास के कार्य में लगे 16,548 राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है । इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनो से होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय, सार्क तथा कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग योजना में विदेशों के सरकारी विभागों के अभियंताओं ने भी भाग लिया है । इस संस्थान ने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए उपयोगी अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है ।

वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

3.1.48 वर्ष के दौरान, संस्थान ने 78 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 1700 अभियंताओं ने भाग लिया । इन कार्यक्रमों में अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित प्रायोजित और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी शामिल हैं ।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) संबंधी परियोजनाओं पर एनआरआरडीए और राज्यीय आरआरडीए के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- केरल लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम ।
- गुवाहटी और हैदराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के नियंत्रण पर कार्यशाला ।
- सीमा सड़क संगठन के अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- सड़क निर्माण विभाग, राची, झारखंड के अभियंताओं के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ।
- तकनीकी सहयोग स्कीम–कोलंबो योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- राजमार्ग परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी पर कोलकाता में सेमिनार।

सड़क निर्माण में यांत्रिकीकरण तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3.1.49 विश्व स्तर के मानकों की सड़कों के निर्माण और उनके समुचित रख–रखाव एवं मरम्मत के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी से युक्त मशीनरी एवं उपस्करों को इस मंत्रालय में शामिल किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए यांत्रिक जोन द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

- पुलों की यांत्रिकृत निरीक्षण की पद्धति प्रारंभ की गई है । मंत्रालय द्वारा असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों को मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट (एमबीआईयू) प्रदान करके पुलों की स्थिति का निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं ।

- वाहनों में अधिक भार लदान, राष्ट्रीय राजमार्गों को होने वाली क्षति का एक प्रमुख कारण है और इसके कारण राजमार्गों पर दुर्घटनाएं होती हैं । मंत्रालय ने वाहन में अधिक भार लदान को रोकने के लिए धीमी और उच्च गति में वाहनों का भार इलेक्ट्रानिक विधि से मापने तथा भार के आधार पर उनका वर्गीकरण करने के लिए डब्ल्यूआईएम–कम–एटीसीसी सिस्टम खरीदे हैं । विभिन्न राज्यों को आबंटित सिस्टमों को स्थापित करने का कार्य इस समय प्रगति पर है ।

- कार्य की बेहतर गुणता और तीव्र कार्य–निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सड़क निर्माण में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सड़क निर्माण मशीनरी की 21 मदों को वित्त मंत्रालय के सहयोग से निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है ।

- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा उपकरण और सामग्री के संबंध में सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाया जा रहा है ।

- मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों में निम्न स्तरीय मशीनरी के प्रयोग को रोकने के लिए एक तकनीकी टीम का गठन करके सड़क निर्माण कार्यों में मशीनरी एवं कार्य पद्धति की जांच की नीति अपनाई है । यह तकनीकी टीम, कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिए प्रारंभिक स्तर पर कार्मिकों को जानकारी भी प्रदान करती है ।

अहमदाबाद–वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग

अध्याय – IV

सड़क परिवहन

देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है । माल भाड़ा और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए सड़क परिवहन को अधिक पसंद किया जाता है और यह एक किफायती साधन है । 2005–06 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.5 प्रतिशत के हिस्से के साथ सड़क परिवहन, भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है । 2000–01 से सकल घरेलू उत्पाद में सड़क परिवहन क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर 9.5% रही है, जो इस अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद में हुई 6.50% की वृद्धि दर से बहुत अधिक है । सड़क परिवहन से लगभग 87 प्रतिशत यात्री यातायात का और 61 प्रतिशत माल भाड़े का यातायात होता है। सड़क यातायात अपनाने के कुछ प्रमुख कारक हैं – आसानी से उपलब्धता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायत । रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन, एक पूरक सेवा का कार्य भी करती है ।

4.1.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने/इसकी मॉनीटरिंग के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

4.1.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियम/ नियमावलियां, जो मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, का प्रशासन किया जाता है –

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865 (इसे नए 'सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।)

4.1.4 सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने **वाहन** (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र) और **सारथी** (ड्राइविंग लाइसेंस) में प्रायोगिक परियोजना पहले ही लागू का दी है और इनमें से 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने रोल आऊट प्रक्रिया शुरु कर दी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली सरकारों ने स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण–पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

4.1.5 सरकार ने मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण–पत्रों के राज्य रजिस्टरों और राष्ट्रीय रजिस्टर के सृजन हेतु 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । यह परियोजना एन आई सी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 2008–09 के दौरान इस प्रयोजन के लिए एन आई सी को 69.76 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई । सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ।

4.1.6 'सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007" को 1.10.2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया । इस विधान के अधिनियमन से सड़क द्वारा परिवहन व्यापार प्रणाली और पद्धति को आधुनिक बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है । तथापि, यह अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है । इस अधिनियम को लागू किए जाने से पूर्व इसके अंतर्गत अधिनियम बनाने के लिए संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है । कार्यकारी समूह के तत्वाधान में गठित उप समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । कार्यकार समूह, उप समूह की सिफारिश के आधार पर, शीघ्र ही मंत्रालय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियमावली का मसौदा संस्तुत करेगा ।

4.1.7 15 मई, 2007 को मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे जांच तथा उपयुक्त सिफारिशों के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था । स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें 28.4.2008 को प्रस्तुत कीं जिनकी मंत्रालय में बारीकी से जांच की गई है । इस अधिनियम में कतिपय संशोधनों को शामिल करने के लिए एक ड्राफ्ट केबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया गया है और इस नोट को सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए दिनांक 23 जनवरी, 2009 को परिचालित किया गया । मोटर यान अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से यातायात संबंधी विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाने, राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने, राज्य परिवहन प्राधिकरणों को और अधिक उत्तरदायी बनाने तथा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को क्षतिपूर्ति तथा नई/उभरती अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधानों को युक्तियुक्त बनाने की परिकल्पना की गई है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की इच्छा के अनुसार, उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रस्तावित संशोधन की व्यापक रूप से समीक्षा की जा रही है ।

4.1.8 **सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन** के संबंध में एक अलग निकाय की स्थापना पर विचार और सिफारिश करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के विशिष्ट अध्येता श्री एस.सुन्दर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । समिति द्वारा इस मंत्रालय को 20 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन की शिफारिश की है । सचिवों की समिति ने दिनांक 4. 3.2008 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड के सृजन के लिए समिति की सिफारिशों को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया । व्यय वित्त समिति ने एक सांविधिक निकाय के सृजन और पेट्रोल और डीजल पर उपकर के रूप में प्राप्त कुल राशि के एक प्रतिशत के विनिधान से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा निधि के सृजन की भी सिफारिश की । बोर्ड के सृजन के लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया गया है और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए इसे 11.2.2009 को परिचालित किया गया । प्रस्तावित बोर्ड के स्थापित हो जाने के बाद यह कई विषयों जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण के मानक और

यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों के अतिरिक्त ट्रॉमा सेंटरों के विकास और उन्नयन, गैर–मोटरीकृत यातायात के विनियमन आदि के बारे में सिफारिश करने का कार्य करेगा । इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा और उसमें 3 से 5 सदस्य होंगे, जो सड़क इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यातायात कानून, प्रचालन, प्रबंधन और प्रवर्तन, डाटा संग्रहण, दुर्घटना अन्वेषण, सांख्यिकी और अनुसंधान, दुर्घटना संबंधी मेडिकल केयर, ट्रामा केयर प्रबंधन और पुनर्वास जैसे सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाएंगे ।

4.1.9 वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, विभिन्न श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए दृव्यमान उत्सर्जन मानकों को उत्तरोत्तर कड़ा बनाया गया है । अद्यतन स्थिति के अनुसार, भारत स्टेप।।। उत्सर्जन मानक, देश के 11 महानगरों नामतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद/सिकन्दराबाद, कानुपर, पुणे, सूरत और आगरा में लागू किए गए हैं। जबकि भारत स्टेप–।। उत्सर्जन मानक देश के शेष हिस्सों में लागू हैं । जैसा कि 9.2.2009 को अधिसूचित किया गया है कि भारत स्टेज–IV उत्सर्जन मानक 1.4.2010 से देश के 11 महानगरों में लागू किए जाएंगे और भारत स्टेज–।।। उत्सर्जन मानक, देश के शेष हिस्सों में उसी तारीख से लागू होंगे ।

4.1.10 श्री डी. थंगाराज पूर्व प्रधान सचिव (परिवहन), कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2006 में एक समिति गठित की गई थी जो राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को इस मंत्रालय द्वारा पहले तैयार किए गए नीतिगत प्रलेख के मसौदे पर प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप देगी । समिति ने मार्च, 2008 में राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति की सिफारिश की और इस नीति को अपनाने के लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया गया तथा इसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में 18.12.2008 को परिचालित किया गया । प्रस्तावित सड़क परिवहन नीति में यात्री और माल दोनों के आवागमन के लिए सड़क आधारभूत संरचना का संवर्धन, आधुनिक, सक्षम और पर्यावरण अनुकूल सड़क परिवहन सेवाओं का प्रयोग, सेवा की गुणता में वृद्धि, सड़क परिवहन प्रणाली के लिए डाटा संग्रहण और प्रबंधन प्रणाली के सर्वधन के अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा उपायों के प्रबंधन पर विषेश जोर के साथ ओवर लोडिंग के नियंत्रण पर जोर देने की परिकल्पना की गई है ।

4.1.11 वर्ष 2008–09 के दौरान अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले ट्रांसपोर्टरों ने दो बार राष्ट्र व्यापी हड़ताल की। पहली बार वे जुलाई 2008 में 2.7.2008 से 3.7. 2008 तक दो दिन की हड़ताल पर गए और इसके दौरान उन्होंने दिसंबर, 2007 से लागू पथकर में बढ़ोतरी को वापस लेने, देश भर में सामान्य डीजल की पर्याप्त उपलब्ध कराने और सेवा कर जैसे मुद्दों को उठाया । उस समय इन मुद्दों का ट्रांसपोर्टरों की संतुष्टि के अनुरूप सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर दिया गया। 4.7.2008 को प्रातःकाल में इस मंत्रालय और राजस्व विभाग के साथ अलग–अलग समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाने पर अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपनी हड़ताल वापस ले ली । इसके बाद जनवरी, 2009 में 5.1.2009 से 12.1.2009 तक पुनः एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने की । इस हड़ताल के दौरान डीजल और टायर मूल्यों में कटौती के रूप में ट्रक उद्योग के लिए वित्तीय पैकेज, ट्रक ऋणों की सभी किश्तों और ब्याज पर 6 माह की अवधि के लिए ऋण स्थगन, 6 माह के लिए पथकर पर स्थगन, राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को सरल बनाने और राष्ट्रीय परमिट शुल्क में कमी आदि जैसे विभिन्न विषयों पर तत्काल ध्यान आकर्षित किया गया । राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे इस हड़ताल के दौरान आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए सुझाई

गई कार्य योजना के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करें । निरंतर बात–चीत के परिणामस्वरूप ट्रांसपोर्टरों ने इस मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने बिना किसी शर्त के 12.1.2009 को अपनी हड़ताल वापस ले ली । सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में मोटर वाहनों पर करों को युक्तियुक्त बनाने और राष्ट्रीय परमिट प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए दिनांक 21.1.2009 को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया; इसमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के वित्त सचिव तथा पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के परिवहन आयुक्त, सलाहकार (परिवहन अनुसंधान) और संयुक्त सचिव (परिवहन) शामिल हैं। ट्रांसपोर्टरों के साथ हुए समझौते के अनुसार यह निर्णय भी लिया गया कि ट्रांसपोर्टरों की शिकायत को दूर करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए केन्द्र और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर स्थाई समितियां गठित की जाएं।

4.1.12 राष्ट्रीय परमिट प्रणाली से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए समिति (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में गठित समिति की तीन बैठकें हुई हैं और इस ने विचार–विमर्श का काम पूरा कर लिया है । समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को प्रस्तुत की जाएगी ।

4.1.13 यह मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से सड़क सुरक्षा के बारे में जन–जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कार्य–कलापों का भी आयोजन करता है । इनमें सेमिनार, कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं, प्रचार सामग्री का मुद्रण और वितरण तथा सड़क सुरक्षा संदेशों के प्रचार के लिए प्रिन्ट, श्रव्य और श्रव्य–दृश्य मीडिया का उपयोग शामिल है ।

4.1.14 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै में राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों के लिए 24 कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों को सड़क परिवहन प्रबंधन और पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी देना है।

सड़क सुरक्षा

4.1.15 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की ग्यारहवीं बैठक 28 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । इस बैठक में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्री, पुलिस महानिदेशक, सचिव/आयुक्त (परिवहन), परिवहन प्रचालन संगठनों के प्रतिनिधि, सड़क सुरक्षा संबंधी गैर–सरकारी संगठन और विशेशज्ञ शामिल हुए ।

4.1.16 श्री एस. सुन्दर, पूर्व सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर गठित समिति ने सरकार के विचारण के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति तैयार की और उसकी सिफारिश की । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूकता पर अधिक बल दिए जाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना करने, चालन लाइसेंस प्रणाली और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने, सड़क सुरक्षा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन आदि की

परिकल्पना की गई है । इस नीति में देश में सड़क सुरक्षा कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के नाम से एक समर्पित निकाय की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है । पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 6.8.2008 को हुई राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का समर्थन किया गया । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को अपनाने और बोर्ड के सृजन के लिए एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया गया है और यह नोट सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 11.2.2009 को परिचालित किया गया ।

4.1.17 यह मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए सड़क सुरक्षा नीतियां तैयार करता है । सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई और प्रबंधित महत्वपूर्ण स्कीमों में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर– सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना और असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण शामिल हैं ।

4.1.18 सड़कों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए –

- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया । कलैंडर, पेम्फलेट, पोस्टर आदि प्रचार सामग्री बड़े पैमाने पर वितरण के लिए गैर–सरकारी संगठनों और राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों को भेजी गई ।

- सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए 100 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया ।

- राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन विनिर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन निगमों आदि के सहयोग से देश भर में 1 से 7 जनवरी, 2009 तक 20वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया । इस बार इसका विषय था सावधानी से चलें और सकुशल पहुँचें ।

- असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में 70,700 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किया गया ।

- मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और गैर–सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जाती हैं ताकि दुर्घटना स्थल को क्लियर किया जा सके और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा केन्द्र तक पहुंचाया जा सके । अभी तक 277 क्रेनें, 40 लघु/ मध्यम आकार की क्रेनें और 509 एम्बुलेंसें स्वीकृत की गई हैं जिनका वर्ष– वार ब्यौरा आगे दिया गया है:–

वर्ष	क्रेन	एम्बुलेंस	लघु/मध्यम आकार की क्रेनें
2000–01	–	41	–
2001–02	22	28	–
2002–03	48	43	–
2003–04	60	64	–
2004–05	61	90	–
2005–06	–	–	–
2006–07	31	71	–
2007–08	30	100	19
2008–09	25	72	21

4.1.19 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण–पूर्व पश्चिम महामार्गों पर ट्रामा सेंटर स्थापित करने की एक प्लान स्कीम तैयार की है। वर्ष 2008–09 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित अस्पतालों/ट्रामा सेंटरों को 70 एम्बुलेंस प्रदान की हैं।

देष में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

4.1.20 हालांकि देश में परिवहन के व्यक्तिगत साधनों का तीव्रता से विकास हुआ है फिर भी सार्वजनिक परिवहन की अधूरी भारी मांग को पूरा करने की आवश्यकता है। भारत में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में मुख्यतः राज्य स्वामित्व वाले सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई यात्री परिवहन बस सेवा तथा स्टेज कैरिज परमिटों के अधीन निजी संचालकों द्वारा चलाई जा रही बसें शामिल हैं । चूंकि यात्री सड़क परिवहन सेवा में बढ़ती हुई मांग के बावजूद, गुणता और संख्या दोनों ही दृष्टि से वांछित वृद्धि नहीं हुई है ? अतः परिवहन के व्यक्तिगत साधनों में असाधारण वृद्धि के कारण यातायात जाम, प्रदूषण इत्यादि की समस्याएं पैदा हुई हैं। विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने उनकी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए अर्थ क्षमता अंतर वित्त पोषण प्रणाली के माध्यम से उन्हें सहायता देने का प्रस्ताव किया है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/राज्य परिवहन उपक्रमों को इस शर्त पर सहायता प्रदान की जाएगी कि संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कतिपय सुधार और उपाय करेंगे । योजना आयोग ने देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की संशोधित स्कीम को सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पहल

4.1.21 सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिन 100 गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किए गए है उनमें से 08 पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से हैं। इसी प्रकार, भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिन 77 गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किए गए हैं उनमें से 05 गैर सरकारी संगठन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से हैं ।

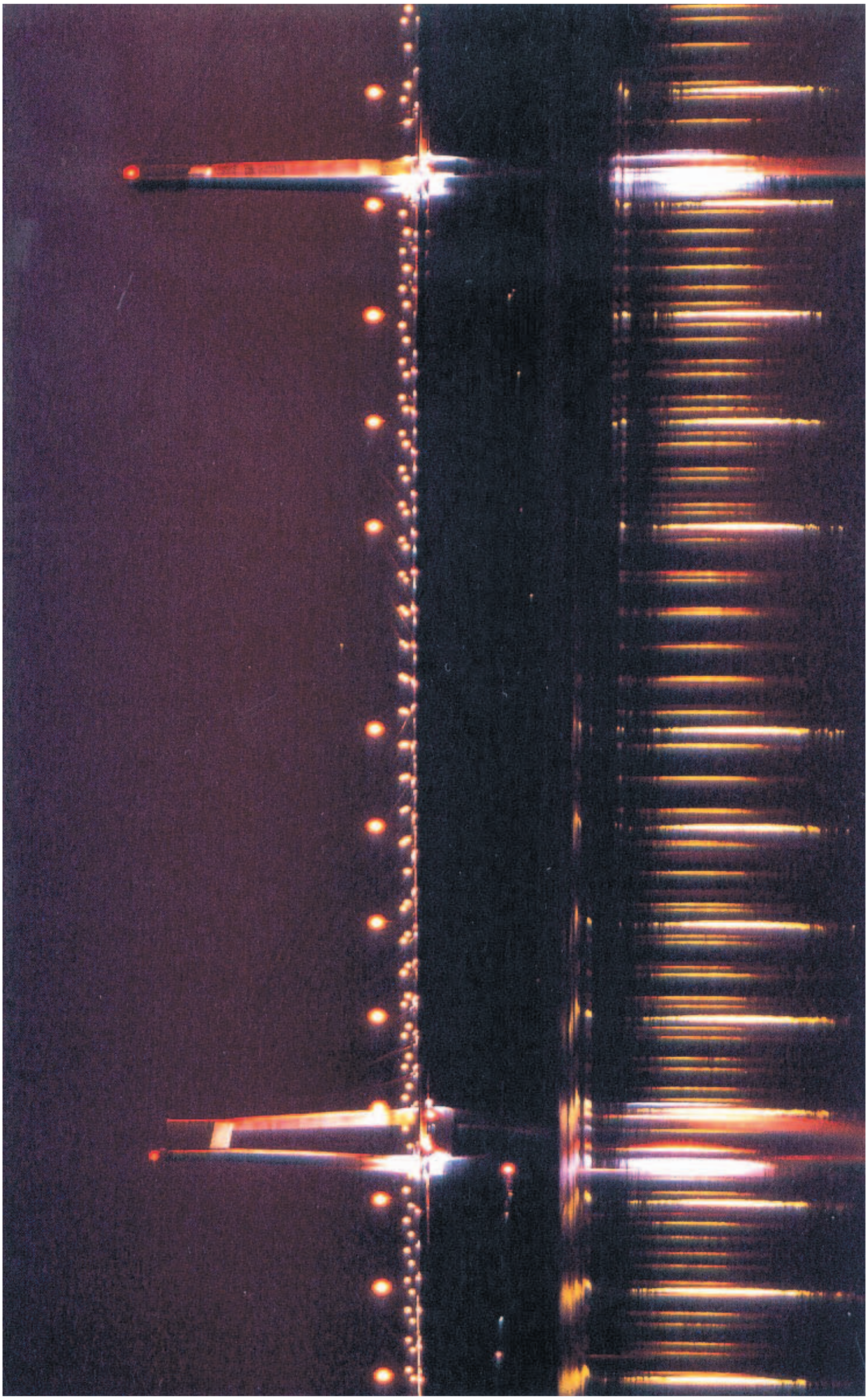

नैनी पुल

अध्याय – V

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

यह मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान देता रहा है और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल आबंटन का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाता है । सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8480 कि.मी. है और इनका विकास और अनुरक्षण कार्य तीन एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । 8480 कि.मी. की कुल लंबाई में से लगभग 3336 कि.मी. सीमा सड़क संगठन के पास है और 4444 कि.मी. संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के पास है । शेष 700 कि.मी. लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है ।

5.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके विकास और अनुरक्षण कार्यों के ब्योरे इस प्रकार हैं :–

(i)	एन एच डी पी चरण –III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई	706 किमी.
(ii)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों की लंबाई –	
	चरण 'क'	2616 किमी.
	चरण 'ख'	4825 किमी.
	सड़कों और राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज	2319 किमी.

5.1.3 एन एच डी पी चरण–III के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के ब्योरे **अनुबंध –IV** में दिए गए हैं ।

5.1.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–क, चरण–ख और सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों की लंबाई के राज्यवार ब्योरे और सुपुर्दगी की विधि **क्रमशः अनुबंध V, अनुबंध–VI और अनुबंध–VII** में दी गई है ।

5.1.5 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत 374.44 करोड़ रुपए की लागत की 33 परियोजनाएं प्रगति पर हैं ।

5.1.6 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 720.07 करोड़ रुपए की धनराशि के 229 कार्य शुरू किए गए हैं ।

5.1.7 राष्ट्रीय राजमार्ग(मूल) के अंतर्गत संस्वीकृत 674.70 करोड़ रु0 के 111 कार्य प्रगति पर हैं ।

5.1.8 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्योरे इस प्रकार हैं :–

अरूणाचल प्रदेश

5.1.9 सरकार ने किमी. 24/0 (जयरामपुर) से किमी. 56.485 (पांग्सु पास) तक जिसमें लगभग 32 किमी. लंबाई शामिल है, रारा–153 को 2 लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है । इस खंड के लिए 94.82 करोड़ रु0 धनराशि के कार्य अनुमोदित किए गए हैं ।

5.1.10 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 149.41 करोड़ रुपए के 43 कार्य शुरू किए गए हैं ।

5.1.11 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 53.80 करोड़ रुपए धनराशि के 4 कार्य प्रगति पर हैं । इसके अतिरिक्त, 2008–09 के दौरान 23.39 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत का एक कार्य अनुमोदित किया गया है और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत 39.77 करोड़ रु0 की दो योजनाओं को सिद्धांत रुप में अनुमोदित कर दिया गया है ।

असम

5.1.12 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 271.70 करोड़ रुपए की धनराशि के 35 सुधार कार्य चल रहे हैं ।

5.1.13 असम में लुमडिंग – डबोका– नगांव – गुवाहाटी से होकर सिलचर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 678 कि.मी. की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। के अंतर्गत पूर्व पश्चिम महामार्ग के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। उदरबंद और हरंगजो के बीच की 31 कि.मी. लंबाई जिसके पुर्नसंरेखण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है, को छोड़कर असम में पूर्व–पश्चिम महामार्ग की संपूर्ण लंबाई सौंप दी गई है और इसमें चार लेन बनाने का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है । गुवाहाटी बाइपास के 18 किमी. में कार्य पूरा कर लिया गया है । उदरबंद और हरंगजो के मध्य 31 किमी. खंड को रारा (मूल) के अंतर्गत 43.79 करोड़ रु0 की अनुमानित धनराशि से दो लेन तक सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है । इसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है ।

5.1.14 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अब तक 338.90 करोड़ रु. के 87 कार्य शुरू किए गए हैं ।

5.1.15 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 10.50 करोड़ रुपए की लागत के 4 कार्य प्रगति पर हैं और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान 15.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के दो कार्य, सिद्धांत रूप में अनुमोदित किए गए हैं ।

5.1.16 सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत रारा–52 पर नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन के पुल का बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निर्माण सहित असम में नगांव से डिब्रुगढ़ (201 कि0मी0) तक राष्ट्रीय राजमार्ग – 37 को 4 लेन का बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों के 1179 कि0मी0 एकल लेन खंडों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

मणिपुर

5..1..17 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, दो पुलों पर 8.03 करोड़ रुपए की लागत के कार्य सहित 66.81 करोड़ रु0 लागत के 9 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.1.18 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 35.41 करोड़ रुपए की लागत के 13 कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008–09 में अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना

के अंतर्गत 8.93 करोड़ रुपए की लागत की एक योजना और 35.14 करोड़ रु0 की एक अन्य योजना अनुमोदित की गई है ।

मेघालय

5.1.19 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 124.96 करोड़ रुपए के 28 सुधार कार्य चल रहे थे ।

5.1.20 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, अब तक 56.84 करोड़ रुपए के 22 कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 4. 29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पुल कार्य प्रगति पर है ।

मिजोरम

5.1.21 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 84.20 करोड़ रुपए के 14 सुधार कार्य चल रहे थे ।

5.1.22 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 40.57 करोड़ रुपए की धनराशि के 19 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 28.26 करोड़ रुपए के दो कार्य प्रगति पर हैं ।

नगालैंड

5.1.23 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 127.03 करोड़ रुपए के 25 सुधार कार्य चल रहे थे ।

5.1.24 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अब तक 44.89 करोड़ रुपए के 14 कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 6.03 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का 1 कार्य प्रगति पर है । आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 84.25 करोड़ रुपए के 4 कार्य प्रगति पर है ।

सिक्किम

5.1.25 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 20.53 करोड़ रु. मूल्य के 22 कार्य शुरू किए गए हैं । अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 104.96 करोड़ रु. की लागत के 10 कार्य प्रगति पर हैं ।

त्रिपुरा

5.1.26 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 33.52 करोड़ रुपए के 9 कार्य शुरू किए गए हैं । आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 14.89 करोड़ रुपए के 3 कार्य प्रगति पर हैं

हमेशा रुकी हुई बस में चढ़े अथवा उतरें

अध्याय – VI

अनुसंधान और विकास

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका सड़क एवं पुलों के कार्यों के लिए तथा नई परीक्षण तकनीकों और उपस्करों को प्रयोग में लाने हेतु परियोजनाओं में प्रभावशाली गुणता नियंत्रण के लिए विनिर्देशों को अद्यतन करने, परियोजनाओं में नवीनतम विकसित निर्माण सामग्री का समावेश करने और राजमार्ग निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए नई तकनीकों की सिफारिश करने की है । देश में आधुनिक निर्माण मशीनरी की उपलब्धता के कारण सड़क कार्यों के लिए विनिर्देशों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता है । निर्माण कार्य की गुणता की जांच के लिए नए उपस्कर तीव्र गति वाले और विश्वनीय हैं । उपयोग में लाने से पूर्व इन उपस्करों को अंशांकित करने और समझने की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार विभिन्न परियोजनाओं में नई सामग्री और निर्माण तकनीकों का प्रयोग करने से पूर्व इनका परीक्षण प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययन में करने की आवश्यकता होती है । अनुसंधान निष्कर्शों का प्रचार–प्रसार, भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से इंडियन हाइवेज रिसर्च डाइजेस्ट के प्रकाशन और इन निष्कर्शों को अपने दिशा–निर्देशों पद्धति संहिता में प्रकाशन, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन और इस मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों और अनुदेशों के माध्यम से किया जाता है। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः 'अनुप्रयुक्त' स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी/विभाग द्वारा अपने–अपने कार्य–क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं । इनमें सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन इंजीनियरी आदि क्षेत्र आते हैं । अनुसंधान कार्य विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है ।

6.1.2 वर्ष 2008–09 में अनुसंधान और विकास के लिए 850.00 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था ।

वर्ष 2009–10 में चलाई जा रही योजनाएं

6.1.3 सड़क अवसरंचना पर अधिक भार लदान के प्रभाव पर प्रायोगिक अध्ययन ।

2008–09 में लगभग पूरी होने वाली अनुसंधान और विकास योजनाएं

सड़कें

1. प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा समर्थित इंस्टुमेंटेशन का प्रयोग करके उच्च यातायात सघनता वाले कॉरीडोरों पर रिजिड पेवमेंट के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी अनुसंधान व विकास अध्ययन करना ।
2. शोधित बाइंडर के साथ बिटुमनस मिक्स के कार्य निष्पादन की जांच करना ।
3. सिसमिक तरगों का प्रयोग करते हुए पेवमेंटों की जांच करना ।
4. कंपोजिट पेवमेंटों के निर्माण के लिए मैन्युअल तैयार करना ।
5. राजमार्ग इंजीनियरी में सोइल नेलिंग टेक्नीक के लिए दिशा–निर्देश ।

पुल

- सी आर आर आई में विस्तार जोड़ों की स्वतंत्र परीक्षण सुविधाओं की पूर्ण श्रृंखला की स्थापना।
- कंकरीट पुलों के डिस्ट्रैस डायगॅनास्टिक के लिए एक प्रवीण प्रणाली का विकास (फजी आधारित)
- संयुक्त पुलों (स्टील के गर्डर सहित) के लिए मानक ड्राइंग का विकास ।
- सड़क पुल खण्ड–VI संयुक्त निर्माण सीमा स्थिति डिजाइन के मानक विनिर्देशनों और पद्धति संहिता संबंधी व्याख्यात्मक टीका तैयार करना (प्रथम संशोधन) ।

यातायात और परिवहन

- जी आई एस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली का विकास करना ।

विचाराधीन प्रस्ताव

सड़कें

- पैदल यात्रियों/निशक्त व्यक्तियों/यात्रियों के पिक अप बस स्टॉप, सौर प्रकाश व्यवस्था, आपदा प्रबंधन/आपातकालीन प्रतिक्रिया, पहाड़ी सड़कें – भूस्खलन/ढलान बचाव/जल–निकासी, इलैक्ट्रोनिक टोल कलैक्शन (इटीसी), ध्वनि बैरियर, टक्कर बैरियर/टकराव रोकने वाले अभिकल्प, सी सी कैमरे, मोटर रहित यातायात पर ध्यान देते हुए सड़क सुरक्षा, नाजुक सड़क प्रयोक्ता, वर्षा जल संचयन, कार्बन क्रेडिट जनेरेशन सुविधाओं के बारे में अद्यतन रिपोर्टों के फलस्वरुप दिशा–निर्देश ।
- सड़क निर्माण में अपशिष्ट और अतिरिक्त सामग्री का उपयोग ।
- पेवमेंट जल निकासी के लिए विभिन्न प्रकार की पार्श्विक नालियों का अनुप्रयोग (पाइप)
- बिटुमिनस मिक्स के लिए विनिर्देशों की समीक्षा ।
- 6 लेन/एक्सप्रेस मार्गों के लिए वाहन संचालन लागत ।
- रिजिड पेवमेंटों की जीवन चक्र लागत ।
- राजमार्ग क्षमता मैन्युअल ।
- जिओ–कंपोजिटस, पोरस कंकरीट आदि के साथ राजमार्ग जल निकासी व्यवस्था का सुधार ।
- गुणता सुधार के लिए तीव्र गति वाले/नुकसान रहित जांच उपस्कर ।
- राजमार्ग सेक्टर और यातायात गणना में अनुसंधान योजनाओं का डाटा बेस ।

पुल

- सड़क और पुल कार्यों के लिए मंत्रालय के विनिर्देशों का संशोधन ।
- विभिन्न प्रकार की पुल सुपर अवसरंचनाओं के लिए विद्यमान मानक डिजाइनों और योजनाओं में संशोधन ।
- पुलों के लिए राफ्ट फाउंडेशन के डिजाइन के लिए हाइड्रोलिक मॉडल इनवेस्टिगेशन।
- पाइलों पर स्थिर और गतिशील भार लदान परीक्षण ।

यांत्रिक निर्माण

- सड़कों और पुल परियोजनाओं के यांत्रिक कार्य निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण निर्माण परिमापों की सुदूर निगरानी ।

2008–09 के दौरान भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा पूर्ण किए गए दस्तावेज

सड़कें

- भारतीय सड़क कांग्रेसः एस पीः 83–2008 सीमेंट कंकरीट पेवमेंट के अनुरक्षण, मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए दिशा–निर्देश ।
- आई आर सीः 44–2008 का संशोधन पेवमेंटों के लिए सीमेंट कंकरीट मिक्स डिजाइन के लिए दिशा–निर्देश ।
- आई आर सीः एस पीः 81–2008 स्लरी सील और माइक्रो सर्फेसिंग के लिए अनंतिम विनिर्देश ।
- आई.आर.सी. : 12– का संशोधन : मार्गस्थ पेट्रोल पंपों/ईंधन स्टेशनों और सर्विस स्टेशनों के पहुंच मार्गों, स्थान और ले आउट के लिए दिशा–निर्देश ।
- आई आर सी : 27 – का संशोधन : बिटुमिनस मैकाडम के लिए विनिर्देश।
- 'डैन्स ग्रेडिड बिटुमिनस मिक्स के लिए विनिर्देश' ।
- आई आर सी : एस पीः 30– का संशोधन : 'भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के आर्थिक मूल्यांकन पर मैन्युअल ।'
- आई आर सी : एस पी : 2001 'भू–दृष्य निर्माण और वृक्षारोपण के लिए दिशा–निर्देश।'
- आई आर सीः एस पी : 58–2001 'सड़क तटबंधन में फ्लाई ऐश के प्रयोग के लिए दिशा–निर्देश के खण्ड सं0 1.2 और तालिका 4.6.1 में संशोधन ।'

पुल

- आई आर सी : एस पीः 82–2008 'कॉजवेज और सबमर्सिबल पुलों के डिजाइन के लिए दिशा–निर्देश ।'
- आई आर सी : 22–2008 का दूसरा संशोधन : 'सड़क पुल खंड VI स्टील कंक्रीट संयुक्त निर्माण के लिए मानक विनिर्देशन और पद्धति संहिता (सीमा स्थिति डिजाइन) ।'
- आई आर सीः एस पीः 80–2008 'पुल अवसंरचनाओं में क्षरण रोकने, निगरानी करने और सुधार उपायों के लिए दिशा–निर्देश ।'
- आई आर सी : 6–2000 के खण्ड सं0 202–3, 222, 208 और 209–7 में संशोधन
- आई आर सी : 78 – 2000 के खंड सं0 708 और 709 में संशोधन : सड़क पुलों के लिए मानक विनिर्देश और पद्धति संहिता : सेक्शन VII – फाउंडेशन और उप संरचना ।

रारा–8 का रतनपुर–हिम्मतनगर खंड

अध्याय – VII

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण कार्यपालक बल है जो सेना का एक छोटा सा अभिन्न अंग है और उसकी सहायता के लिए कार्य करता है । इसने केवल दो परियोजनाओं–पूर्व में परियोजना टस्कर (जिसका नाम बदल कर परियोजना वरतक रखा गया) और पश्चिम में परियोजना बीकन पर कार्य करने के साथ मई, 1960 में अपने प्रचालनों की शुरूआत की थी । अब यह बढ़कर 15 परियोजनाओं वाला कार्यपालक बल हो गया है ।

7.1.2 सीमा सड़क संगठन ने न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के साथ जोड़ा है बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का भी विकास किया है । इसके अलावा, संगठन को विदेश में अर्थात् तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार में सड़कों, हवाई क्षेत्रों आदि का निर्माण कार्य सौंपा गया है । सीमा सड़क संगठन ने अफगानिस्तान में विषम परिस्थितियों और व्याप्त विद्रोह के बावजूद 215 किमी. देलाराम–जरंज सड़क को हाल ही में पूरा कर दिया है ।

सीमा सड़क संगठन के कार्य

7.1.3 सीमा सड़क संगठन का गठन रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सीमा क्षेत्रों में सड़कों जिन्हें सामान्य स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के निर्माण और अनुरक्षण के लिए किया गया था । सामान्य स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से सीमा सड़क विकास बोर्ड को उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है ।

7.1.4 जी एस सड़कों के अतिरिक्त, सीमा सड़क संगठन, केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्य भी करता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्ध–सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए कार्य डिपोजिट कार्यों के रूप में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- 1355.82 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 8.80 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी. लंबे वैकल्पिक मार्ग का

निर्माण कार्य सौंपे जाने से संगठन की विविध क्षमताओं की मान्यता में एक नया अध्याय जुड़ गया है । निर्माण कार्यों में अभी तक लक्ष्यों के अनुसार प्रगति हुई है । रोहतांग सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार और उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले पहुंच मार्गों की लंबाई क्रमशः 11.750 कि.मी. और 0.975 कि.मी. है । मुख्य सुरंग के लिए ठेका सौंपने का कार्य उन्नत स्तर पर है ।

- सीमा सड़क संगठन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर – दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर जम्मू से विजयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग–1ए को चार लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 83.88 करोड़ रु0 है और अन्तर आदेश के कारण इस परियोजना की संशोधित लागत 101.48 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राजमार्ग कार्य के पूरा होने की संभावित तारीख को 30 मई, 2009 तक बढ़ाने के लिए कहा गया है । अभी अनुमोदन मिलना शेष है ।

- 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण– 'क' का कुछ कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है । इस कार्य में एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों का दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार करने का कार्य शामिल है । 2010–11 में परियोजना पूरा होने की संभावित तारीख के साथ चरण 'क' के अंतर्गत 2013 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 721 कि.मी. सड़कों को चौड़ा करने और 2013–14 में परियोजना पूरा होने की संभावित तारीख के साथ चरण 'ख' में 2043 कि.मी. लंबी सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य, सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए हैं । ये कार्य वर्ष 2006–07 में प्रारंभ हो गए थे ।

- जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 94 किमी. लंबी श्रीनगर–उरी (राष्ट्रीय राजमार्ग–1ए) सड़क, 17.25 किमी. लंबी उरी–एल ओ सी सड़क का उन्नयन कार्य, 265 किमी. लंबी बटोटे–किश्तवाड़–अनंतनाग सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग–1बी) को दो लेन का बनाने, 422 किमी. लंबी श्रीनगर–लेह सड़क वाया कारगिल (राष्ट्रीय राजमार्ग–1डी) को दो लेन का बनाने, 290 किमी. लंबी नीमू–पदम–डारचा सड़क का निर्माण और 14.14 कि.मी. लंबी डोमेंल–कटरा (राष्ट्रीय राजमार्ग–1सी) सड़क को चौड़ा करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2308.81 करोड़ रुपए है और इन परियोजनाओं को वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना है ।

- सीमा सड़क संगठन द्वारा मेघालय में सोनापुर के निकट रारा 44 पर किमी. 141.80 में 120 मीटर लंबी 'कट और कवर' सुरंग की एक अनोखी अवसंरचना पूरी की गई है । इस सुरंग का उद्घाटन माननीय रक्षा राज्य डा0 एम.एम. पल्लमराजू द्वारा 30 सितंबर,

2008 को किया गया था और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया । मानसून के दौरान इस सुरंग से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के कछार प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सोनापुर भू–स्खलन क्षेत्र से होकर बाधा रहित आवागमन को बढ़ावा मिलेगा ।

रारा–52 पर 763.50 मीटर लंबे पासीघाट पुल को 2009–10 के दौरान पूरा करने की योजना है ।

रारा–8 के दिल्ली जयपुर खंड पर राजमार्ग पेट्रोल

अध्याय– VIII

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कार्यान्वयन व्यवस्था

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में एक उप निदेशक (राजभाशा) हैं जिनकी सहायता के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं । राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त, हिन्दी अनुभाग इस मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है ।

हिन्दी सलाहकार समिति

8.1.2 हिन्दी सलाहकार समिति का तीन वर्ष का कार्य काल समाप्त होने के बाद माननीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया गया है । इस पुनर्गठित समिति का संघटन, संकल्प संख्या ई–11013/7/2008–हिन्दी, दिनांक 22 दिसंबर, 2008 के द्वारा अधिसूचित किया गया था । पुनर्गठित समिति की दो बैठकें 9 जनवरी, 2009 और 24 फरवरी, 2009 को क्रमशः हैदराबाद और नई दिल्ली में हो चुकी हैं ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

8.1.3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परिवहन एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 16 जून, 2008 और 13 अक्तूबर, 2008 को हुई थी । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिर्पोटों की इन बैठकों में समीक्षा की गई और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के बारे में उपचारात्मक उपाय सुझाए गए ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संषोधित) की धारा 3(3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्राचार

8.1.4 राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

8.1.5 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिन्दी में लिखे अथवा हिन्दी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों ।

8.1.6 क और ख क्षेत्रों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और आम जनता के कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 10(4) के अधीन कार्यालयों को अधिसूचित करना ।

8.1.7 इस वर्ष के दौरान राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10(4) के प्रावधानों के अंतर्गत इस मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाली सोसाइटी अर्थात् भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली को अधिसूचित किया गया । इस मंत्रालय का संसद अनुभाग भी राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया । इस प्रकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित अनुभागों की कुल संख्या 8 हो गई ।

हिन्दी भाषा/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

8.1.8 कुल 15 लिपिकों में से 9 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं । कुल 113 आशुलिपिकों में से 83 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं ।

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

8.1.9 मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है । इस योजना में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 2007–08 के लिए इस योजना के अधीन प्राप्त प्रविष्टियों पर कार्रवाई की जा रही है ।

हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

8.1.10 हिन्दी दिवस के अवसर पर 15 सितंबर, 2008 को मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा जारी की गई अपील पढ़ी गई । मंत्रालय में 16 सितंबर, 2008 से 30 सितंबर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिन्दी निबंध, हिन्दी में टिप्पण आलेखन, विभागीय शब्दावली, आशु भाषण, क्विज और हिन्दी काव्य पाठ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । पहली बार मंत्रालय के हिन्दी भाषी और हिन्दी इतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग–अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । माननीय राज्य मंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) ने दिनांक 4 नवंबर, 2008 को मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए ।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

8.1.11 मंत्रालय में संपूर्ण हिन्दी टंकण कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है । कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए कंप्यूटरों में हिन्दी के नवीनतम सोफ्टवेयर लगाए गए हैं ।

निरीक्षण और निगरानी

8.1.12 राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2008–09 में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में हुई प्रगति का आकलन करने, राजभाषा नीति के अनुपालन और वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से हिन्दी अनुभाग ने निरीक्षण किए । मंत्रालय के दो क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु (कर्नाटक) और रायपुर (छत्तीसगढ़) का निरीक्षण क्रमषः 8 मई, 2008 और 15 मई, 2008 को किया गया । इसके अतिरिक्त, तीन कार्यालयों अर्थात् द्वारका स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नोएडा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय सड़क कांग्रेस का निरीक्षण किया गया । इस निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के स्थिति की समीक्षा की गई और उनके दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए गए । वर्ष के दौरान, मंत्रालय के 23 अनुभागों का निरीक्षण किया गया ।

राजभाषा समीक्षा समिति

8.1.13 मंत्रालय के शासकीय कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में एक राजभाषा समीक्षा समिति गठित की गई है। सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक 14 अगस्त, 2008 को हुई और इस बैठक में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

8.1.14 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्य–क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005–06 में एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी । वर्ष 2005–06 के लिए इस योजना के अधीन 2 पुस्तकों को क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया । वर्ष 2006–07 के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

पथ भारती का प्रकाशन

8.1.15 मंत्रालय के कार्यकलापों का प्रचार–प्रसार करने और मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए **पथ भारती** नाम से एक गृह पत्रिका जून, 2007 से प्रकाशित की जा रही है। इस पत्रिका में मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विषयों, राजभाषा नीति, साहित्यिक लेख और सामयिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। पथ भारती का तीसरा अंक जनवरी, 2009 में प्रकाशित किया गया । **पथ भारती** के चौथे अंक का मुद्रण कार्य प्रगति पर है ।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मंत्रालय का निरीक्षण

8.1.16 संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दिनांक 16 जून, 2008 को निरीक्षण किया गया और इस समिति ने मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की ।

लेन में चलना, सुरक्षित चलना है

अध्याय – IX

प्रशासन एवं वित्त

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का प्रशासनिक प्रभाग दो पक्षों में विभाजित है । इनमें से एक पक्ष अखिल भारतीय सेवा और सी एस एस, सी एस सी एस और जी सी एस से संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों तथा अन्य पक्ष, तकनीकी अधिकारियों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को देखता है । पहले पक्ष के प्रमुख, संयुक्त सचिव (परिवहन एवं प्रशासन) हैं और दूसरे पक्ष के प्रमुख, संयुक्त सचिव (राजमार्ग) हैं । संयुक्त सचिव (परिवहन एवं प्रशासन) की सहायता के लिए उप सचिव (स्थापना) और अवर सचिव (स्थापना– I) हैं । स्थापना– I पक्ष, मंत्रालय को स्थापना संबंधी और आधारभूत सहायता प्रदान करता है और मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के स्तर के पदों के संबंध में कैडर नियंत्रण का कार्य भी करता है । प्रशासनिक सुविधा के लिए इस विंग को दो अनुभागों नामतः स्थापना– I और स्थापना– Iबी में बांटा गया है । स्थापना– I : यह अनुभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अखिल भारतीय सेवाओं, सचिवालय अधिकारियों और गैर तकनीकी स्टाफ के व्यक्गित मामलों के प्रशासन को देखता है । स्थापना–1(बी) : यह अनुभाग, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/आशुलिपिक ग्रेड–'सी'/आशुलिपिक ग्रेड–'डी'(सीएसएसएस कैडर) और समूह 'घ'कर्मचारियों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों को देखता है । स्थापना समन्वय से संबंधित कार्य भी स्थापना–1बी अनुभाग द्वारा किया जाता है । संयुक्त सचिव (राजमार्ग) की सहायता के लिए उप सचिव (प्रशासन) और अवर सचिव (स्थापना– II) हैं । स्थापना– II पक्ष भी दो अनुभागों नामतः स्थापना– II और स्थापना– IIबी अनुभागों में विभाजित है । स्थापना– II:– यह अनुभाग केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के संवर्ग प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह अनुभाग, इंजीनियरों, ड्राफ्टसमैनों आदि समूह 'ख' और 'ग' के तकनीकी और गैर–तकनीकी संवर्ग के सेवा प्रबंधन का कार्य करता है । यह अनुभाग, देश के विभिन्न भागों में स्थित 22 क्षेत्रीय कार्यालयों/इंजीनियर संपर्क कार्यालयों के अन्य अधीनस्थ स्टाफ के सेवा संबंधी कार्य को भी देखता है । स्थापना– II(बी) अनुभागः यह अनुभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, भारतीय राश्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक मामलों को देखता है ।

9.1.2 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग और व्यय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप इस मत्रालय में विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया जाता है । मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं । मंत्रालय में कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध– VIII** में दिया गया है ।

वित्त पक्ष

9.1.3 वित्त पक्ष के प्रमुख, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार हैं । उनके काम में निदेशक (वित्त) और सहायक वित्त सलाहकार मदद करते हैं ।

9.1.4 समन्वित वित्त पक्ष की स्कीम के अनुसार, वित्त सलाहकार का कार्य प्रशासनिक मंत्रालय से संबंधित और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न मामलों के संबंध में वित्तीय सलाह प्रदान करने का है । वे मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यक्रम निर्धारण करने, बजट बनाने, निगरानी रखने तथा मूल्यांकन करने से संबंधित सभी कार्यों को करने में अपना योगदान देते हैं ।

वित्तीय सलाहकार

- उन सभी परियोजनाओं जिन पर लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो, से संबंधित लोक निवेश बोर्ड की बैठक से पूर्व होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना ।
- व्यय वित्त समिति/लोक निवेष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली समिति को व्यय वित्त समिति प्रस्तावों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान कराना ।
- मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न प्रशासनिक पक्षों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों और स्कीमों को सहमति सहित वित्तीय सलाह प्रदान करना ।
- पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करने में आवश्यक सहयोग देना ।
- इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों के आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का आकलन करना ।
- विभिन्न स्वायत्त निकायों के बजट प्रस्तावों की जांच करना तथा उनकी विधीक्षा करना।
- सड़क और परिवहन क्षेत्र से संबंधित लगभग 4800 प्रस्तावों की जांच करना और संस्वीकृति प्रदान करना ।
- परिणामी बजट को तैयार करने में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करना ।
- निष्पादन बजटों को तैयार करने के काम में सक्रिय समन्वय करना ।
- संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए राजकोषीय स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा तिमाही समीक्षा के लिए अपेक्षित सामग्री प्रदान करके राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन संबंधी कार्य करना ।
- सड़क क्षेत्र में इष्टतम निजी क्षेत्र निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रणनीति तैयार करने में विभाग की सक्रिय रूप से सहायता करना ।
- निधियों को स्कीम वार/परियोजना वार/निष्पादनों से जोड़ कर जारी करने के साथ–साथ व्यय प्रबंध सुनिश्चित करना ।
- बाजार के रुख और अन्य सड़क क्षेत्रीय घटनाओं के संदर्भ में विभिन्न गैर कर राजस्व प्राप्तियों की आवधिक समीक्षा करना तथा नियोजित सार्वजनिक संसाधनों से तर्कसंगत प्रतिफल के बारे में सरकार को अपनी सुविचारित सिफारिशें और टिप्पणियाँ उपलब्ध कराना ।

- परसंपत्तियों और देयताओं पर निरंतर निगरानी रखना तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- जीरो आधारित बजट विधि के आधार पर योजना स्कीमों की समीक्षा करना ताकि उनमें इष्टतम उपलब्धि हो और व्यय सीमित हो ।
- योजनागत परियोजनाओं तथा पहले से चल रही स्कीमों की प्रगति/निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करना, मितव्ययिता उपायों को लागू करना तथा सभी प्रस्तावों की वित्तीय व्यावहारिकता का आकलन करना ।
- लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट/समीक्षा, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के निपटान पर नजर रखना और लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा विनियोजन लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करना ।

9.1.5 वित्त संबंधी सलाह देने के अलावा, वित्त सलाहकार के निम्नलिखित कार्य भी हैंः—

- यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करते समय, समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन हो और वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही बजट तैयार हो ।
- वित्त मंत्रालय भेजने से पूर्व बजट प्रस्तावों की जांच करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखे, सामान्य वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जाएं ।
- संस्वीकृत अनुदानों की तुलना में व्यय की प्रगति की समीक्षा करना और उनकी मानीटरिंग करना।

अध्याय–X

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

मंत्रालय, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है । चुने गए और नामित निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है । 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों पर निःशक्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में स्थिति अनुबंध–IX में दी गई तालिका में दिखाई गई है ।

अध्याय – XI

सतर्कता

मंत्रालय की सतर्कता यूनिट, मंत्रालय के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है । इस यूनिट के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । संयुक्त सचिव (परिवहन व प्रशासन) ही मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की गई है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसमें एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है ।

11.1.2 वर्ष 2008–09 के दौरान, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई (यथा अपेक्षा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से) करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्णय लेने की शक्तियों का प्रत्यायोजन, लोक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना और जनता के साथ कामकाज में पारदर्शिता लाना शामिल है । इसके अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी, सहायक और उच्च श्रेणी लिपिक स्तर के कार्मिकों जिन्होंने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था, के रोटेशनल स्थानांतरण किए गए ।

11.1.3 मंत्रालय में 3–7 नवम्बर, 2008 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई । सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान 'लोक शासन में सतर्कता जागरुकता' और 'भ्रष्टाचार को खत्म करने में ई– गवर्नेंस की भूमिका' विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

रेलवे क्रासिंग पर रेलगाड़ी के गुजरने तक प्रतीक्षा करें

अध्याय – XII

संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण

मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ–साथ विभाग द्वारा अनुसमर्थित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है । इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम लोगों के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है । जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ भेज दिया जाता है ।

12.1.2 कार्यालय पद्धति मैनुअल के अनुसार, मंत्रालय में कुछ अनुभागों/डेस्कों का वार्षिक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित किए गए । इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार तिमाही आधार पर 'सचिव के लिए कार्यकारी सारांश' तैयार करके उसे प्रस्तुत किया जाता है । इस पर सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की टिप्पणियों के अनुसार, नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है ।

12.1.3 संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभाग में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है । उन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में भी पदनामित किया गया है । प्राप्त लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाईयों को भेज दिया जाता है । एक वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पी जी आर ए एम एस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है । वर्ष (1.4.2008 से 31.3.2009) के दौरान कुल 3151 लोक शिकायतें प्राप्त हुई और उनमें से 2901 मामलों का निपटान किया गया। शेष 250 मामले निपटान के विभिन्न चरणों में हैं ।

12.1.4 मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है । शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जी प्राप्त करने के लिए उप सचिव (प्रशा.) को स्टाफ शिकायत अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है । इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (प्रशा.) भी इस काम के लिए एक पखवाड़े में 2 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं ।

12.1.5 मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी देने, अतिरिक्त सूचना के लिए संपर्क किए जाने वाले कार्मिकों, शिकायतों के निपटान आदि की सूचना प्रदान करने के लिए एक वार्षिक नागरिक चार्टर प्रकाशित किया गया है और इसे विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है ।

12.1.6 अभिलेखों के प्रबंधन की ओर उचित ध्यान दिया जाता है । 25 वर्ष से अधिक पुराने सभी अभिलेखों को स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दिया गया है । वर्ष के दौरान 1826 फाइलें रिकार्ड की गईं, 2718 फाइलों की समीक्षा की गई और 1566 फाइलों को नष्ट किया गया ।

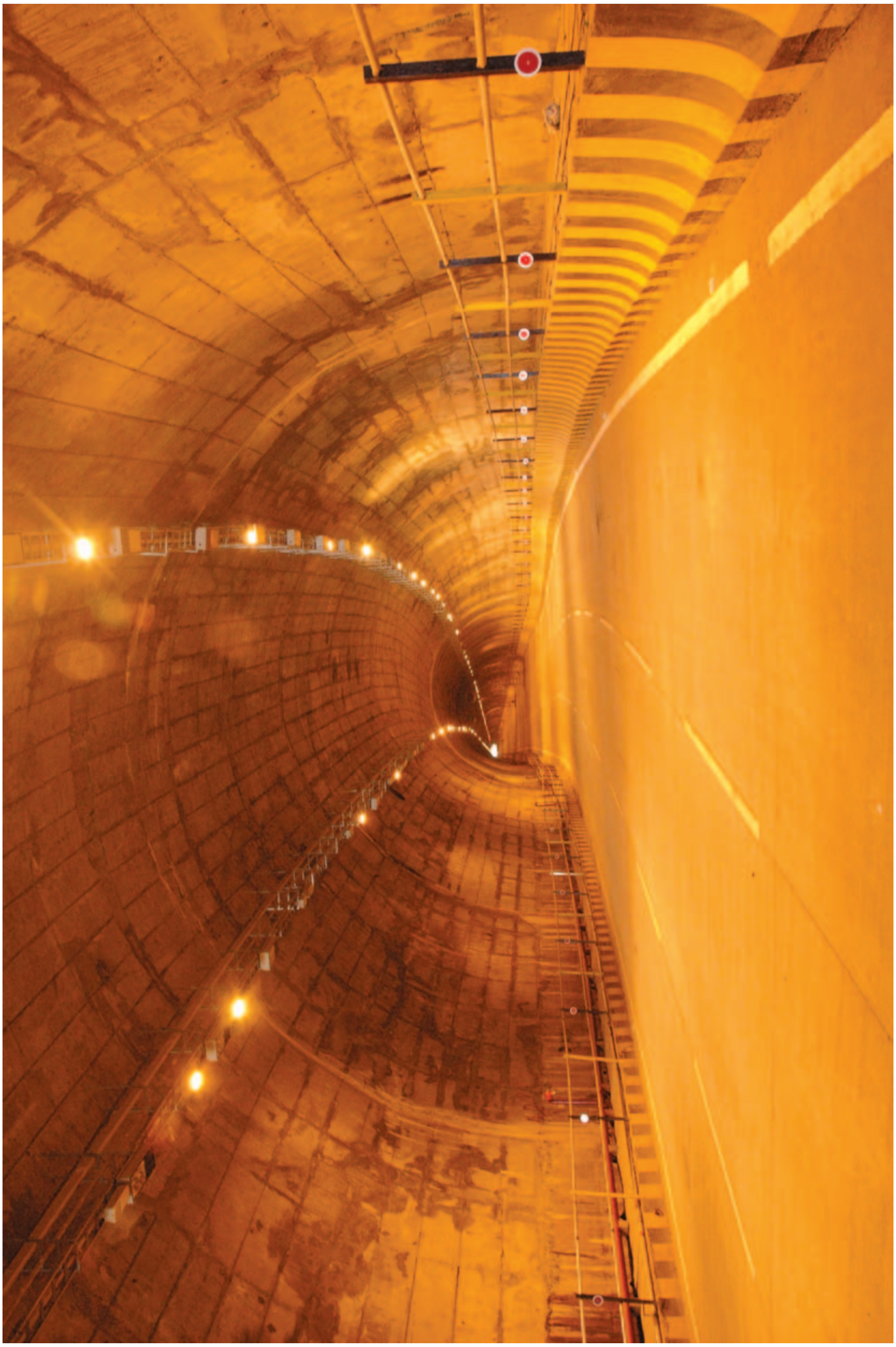

राष्ट्रीय राजमार्ग–4 पर कटराज घाट बाइपास पर सुरंग

अध्याय – XIII

लेखा और बजट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट पक्ष, मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं। मुख्य नियंत्रक का कार्यालय अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेंकन, निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने, रोकड़ प्रबंधन करने और लेखा महानियंत्रक, सी एण्ड ए जी, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है ।

13.1.2 मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में मुख्य लेखा नियंत्रक (संयुक्त सचिव के वेतनमान में), एक लेखा नियंत्रक (उप सचिव/निदेशक के वेतनमान में), दो उप लेखा नियंत्रक और 9 क्षेत्रीय वेतन और लेखा अधिकारी जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ, जयपुर, बेंगलुरु, लखनऊ और गुवाहाटी में अवस्थित हैं, शामिल हैं । बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) और एक लेखाधिकारी (बजट) हैं ।

13.1.3 मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, मुख्यतः निम्नलिखित प्रमुख कार्यों के लिए जिम्मेदार है :–

1. भुगतान

- अनुमोदित बजट के अनुसार, प्रस्तुत किए गए बिलों की पूर्व जांच के बाद मंत्रालय की ओर से संस्वीकृत भुगतान करना ।
- मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना ।

2. प्राप्तियां

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्राप्तियों की बजटिंग, लेखांकन और मिलान करना ।
- राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त ऋण और ब्याज की अदायगी की मॉनिटरिंग करना ।

3. लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- मासिक लेखे, वार्षिक विनियोजन लेखे और केन्द्रीय लेन–देन विवरण तैयार करना और उन्हें महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत करना।
- आंतरिक अतिरिक्त बजट संसाधनों की मॉनीटरिंग करना और इसे महालेखा नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत करना ।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना प्रस्तुत करना और उसकी निगरानी करना ।
- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंध सूचना रिपोर्टें तैयार करना ।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्राप्तियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना ।

4. बजट

- वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा मंत्रालय की निधियों का विनियोजन तैयार करना । बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना ।
- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) द्वारा की गई अभ्युक्तियों और लेखा परीक्षा पैराओं की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई नोट' के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना ।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा

- राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्यों के लोक निर्माण विभागों की परीक्षण जांच करना और मंत्रालय की आंतरिक लेखा परीक्षा/ निरीक्षण करना ।
- मंत्रालय की वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना ।

लेखाओं का कंप्यूटरीकरण

13.1.4 लेखाओं को समेकित करने में होने वाले विलंब को दूर करने तथा समय पर और शुद्ध आधार पर व्यय संबंधी लेखों के बारे में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में वर्तमान में विभिन्न सोफ्टवेयर पैकेजों जैसे कॉम्पेक्ट, कांटेक्ट, ई–लेखा आदि का उपयोग किया जा रहा है।

कॉम्पेक्टः व्यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसके द्वारा प्री–चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन और समेंकन जैसे मुख्य लेखांकन कार्य किए जा रहे हैं ।

कांन्टेक्टः इस सोफ्टवेयर का उपयोग मासिक लेखों के समेकन के लिए प्रधान लेखा कार्यालय में किया जा रहा है ।

ई–लेखाः यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा लेखांकन सूचना का दैनिक/मासिक एमआइएस/व्यय तैयार किया जाता है ।

13.1.5 वर्ष 2007–08 के लिए अनुदान संख्या–85 के संबंध में बचत/व्यय– आधिक्य की स्थिति को **अनुबंध–X** में दर्शाया गया है ।

13.1.6 वर्ष 2007–08 के लिए निधियों के स्रोत और उपयोग (अनुप्रयोग) को क्रमशः **अनुबंध XI और XII** में दर्शाया गया है ।

(ग्रेव एक्सेंट)

सड़क को सुरक्षित पार करने के लिए हमेशा भूमिगत पैदल पार पथ का प्रयोग करें

अध्याय – XIV

विविध

परिवहन अनुसंधान

परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो पोत परिवहन मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को अनुसंधान सामग्री, विश्लेषण तथा डाटा सहायता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, यह सड़क परिवहन और जल परिवहन साधनों के नीति नियोजन की, समन्वय और निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है ।

14.1.2 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़कों, सड़क परिवहन, पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों, नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन, वितरण और विश्लेषण करता है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों अर्थात् केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों से डाटा मंगाने होते हैं। सुसंगति तथा तुलनीयता की दृष्टि से विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच की जाती है और उसकी अभिपुष्टि की जाती है तथा परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही और वार्षिक प्रकाशनों में समेकित की जाती है । परिवहन अनुसंधान पक्ष डाटाबेस बनाने और उसे सुदृढ़ करने, डाटा अंतरालों का पता लगाने तथा सड़क परिवहन, राजमार्ग, पत्तन और अंतरर्देशीय जल मार्गों के क्षेत्र में डाटा की विश्वसनीयता और शुद्धता में सुधार लाने के उपाय करता है ।

14.1.3 सड़क परिवहन के बढ़ते महत्व और आर्थिक और सामाजिक विकास में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित प्रकाशन जो विषय वस्तु में व्यापक और विश्लेषणात्मक दोनों हों, के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस हुई । इस उद्देश्य से, वर्ष 2005 में पूर्ववर्ती प्रकाशन 'भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी' के स्थान पर 'सड़क परिवहन वार्षिकी 2003–04' के शीर्षक से एक नया प्रकाशन शुरु किया गया । इस प्रकाशन में विभिन्न मोटर परिवहन मापदण्डों संबंधी डाटा के अलावा सड़क परिवहन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, यातायात के इंटरमॉडल शेयर, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, आदि पर सूचना शामिल है । 'सड़क परिवहन वार्षिकी 2006–07' प्रकाशन का तीसरा अंक मार्च, 2009 में निकाला गया ।

14.1.4 परिवहन अनुसंधान पक्ष, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन के आकलन और उस पर निगरानी रखने के लिए, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय मापदंडों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करता है । यह सूचना तिमाही आधार पर 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा' में प्रकाशित की जाती है। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय दोनों कार्य–निश्पादनों पर निगरानी रखने वाला यह प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के गिने–चुने प्रकाशनों में से एक है । वर्ष 2008–09 के दौरान चार तिमाही प्रकाशन (अक्तूबर–दिसंबर, 2006, अप्रैल – जून, 2007, जुलाई–सितंबर, 2007 और अक्तूबर–दिसंबर 2007) और एक वार्षिक प्रकाशन (अप्रैल, 2006– मार्च, 2007) जारी किए गए हैं ।

14.1.5 बेसिक रोड़ स्टेटिस्टिक्स, एक अग्रणी राष्ट्रीय प्रकाशन है जो देश में सड़क नेटवर्क पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है । इस प्रकाशन के लिए केन्द्र, राज्यों और स्थानीय स्तरों पर फैली लगभग 280 स्रोत एजेंसियों से डाटा एकत्र किया जाता है । परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा इस प्रकार एकत्र डाटा का फिर मिलान, समेकन और विश्लेषण किया जाता है । डाटा समाशोधन करते समय यह प्रयास किया जाता है कि इसके माध्यम से तुलनीय समयानुक्रम डाटा भी दिया जा सके । बेसिक रोड़ स्टेटिस्टिक्स सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नवीनतम अंक मार्च, 2002, मार्च, 2003 और मार्च, 2004 में समाप्त हुए वर्षों के आंकड़ो को शामिल करते हुए जुलाई, 2008 में जारी किया गया ।

14.1.6 देश के दुर्घटना सूचना डाटा सिस्टम में सुधार के लिए, यूनेस्केप द्वारा प्रायोजित एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना चल रही है । इस परियोजना के लिए, देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 23 महानगरों के सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले फार्मेट में संग्रहण, संकलन और मिलान किया जाता है । डाटा समाशोधन करते समय यह प्रयास किया जाता है कि इसके माध्यम से तुलनीय समयानुक्रम डाटा भी दिया जा सके। 19 मद वाले फार्मेट के अनुसार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और वर्ष 2007 के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं । परिवहन अनुसंधान विंग में 19 मद वाले फार्मेट में एकत्र किए गए डाटा के आधार पर भारत में दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण और समीक्षा की जाती है। 'भारत में सड़क दुर्घटना : 2004' प्रकाशन के माध्यम से वर्ष 2006 में प्रकाशित प्रथम अंक में आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण शामिल किया गया है । 'भारत में सड़क दुर्घटनाः 2006' का नवीनतम अंक, परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा जुलाई, 2008 में निकाला गया। अगला अंक 'भारत में सड़क दुर्घटना : 2007' मार्च, 2009 में जारी किया गया है इसमें कलैण्डर वर्ष 2007 के आंकड़ों को शामिल किया गया है ।

14.1.7 इसके अतिरिक्त, परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नियमावली के मसौदे पर सुझाव देने के लिए सलाहकार (परिवहन अनुसंधान) के अधीन गठित उप समिति से संबंधित कार्य में भी सेवा प्रदान कर रहा है। परिवहन अनुसंधान पक्ष, देश में राष्ट्रीय परमिट के लिए संयुक्त शुल्क के ई–भुगतान तरीकों से संबंधित मुद्दों और रीतियों की जांच के लिए गठित कोर ग्रुप के कार्य में भी सहायता प्रदान कर रहा है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

14.1.8 सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना, नागरिकों को प्रदान करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने का है । सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग स्थापित किए गए हैं ।

14.1.9 सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार इस मंत्रालय में सूचना का अधिकार अनुभाग, जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था की गई है । सूचना का

अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अधीन जन प्राधिकारियों द्वारा जनता को इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वतः सूचना दी जा रही है । सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काउंटर खोला गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 में छूट को ध्यान में रखते हुए इस अधिनयम में उल्लिखित निर्धारित समय में आवेदक/जनता को सूचना प्रदान की जा रही है और सूचना न देने के कारण जहां आवश्यक हों, बताए जाते हैं ।

14.1.10 मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन दोनों संगठनों नामतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, एक सोसाइटी ने आवेदकों/जनता को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा निर्देशित अपने अलग–अलग जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीली प्राधिकारी नियुक्त किए हैं ।

14.1.11 इस मंत्रालय को मोटर यान अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाइओवर, टॉल प्लाजा, प्रयोक्ता शुल्क की वसूली, पेट्रोल पंपों की स्थापना, टेण्डर आदि से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं । संबंधित जनसूचना अधिकारियों द्वारा इन सब का शीघ्रता से उत्तर दिया जा रहा है ।

14.1.12 वर्ष 2008–09 के दौरान 362 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 50 आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालय/विभाग में स्थानंतरित किए जाने के अलावा सभी आवेदन पत्रों और अपीलों का निपटान किया गया ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2008 की संख्या सीए 11 (नियमितता लेखा परीक्षा)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

14.1.13 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अतिरिक्त मदों के लिए ठेकेदार को उच्चतर दरों पर भुगतान करने से 2.29 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह भुगतान, प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किए बिना परियोजना पर्यवेक्षण परामर्शदाता की सिफारिश पर किया गया ।

14.1.14 अधिशेष ऋण को निरस्त करने में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाने में विलंब के कारण 1.01 करोड़ रुपए के परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान करना पडा।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिनिर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

14.1.15 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रशासनिक पक्ष, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिनिर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना सहित विभिन्न विषयों पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को नियमित रूप से सूचना भेजता

है । कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 25.6.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिनिर्णयों/आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी व्यवस्था की मॉनीटरिंग कर रहा है और जनवरी, 2008 से निर्धारित प्रोफार्मे के अनुसार तिमाही आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रगति/स्थिति रिपोर्ट भेज रहा है । इसी प्रकार, अक्तूबर से दिसंबर, 2008 की पिछली तिमाही के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन पक्ष द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भेजी गई सूचना इस प्रकार है :–

क्र. सं.	कैट केस ओए सं. और दिनांक	क्या कैट का अधिनिर्णय कार्यान्वित कियागया	क्या कैट के अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई, यदि हां तो	क्या कैट का अधिनिर्णय रोका गया	क्या कैट का अधिनिर्णय खारिज किया गया ।
1.	2001 के ओए सं. 2514 में सीपी सं. 343/2003	हां	–	–	–
2.	ओए सं.2514/2001 में सीपी सं. 344/2003	हां	–	–	–
3.	ओए सं.228/2004	हां	–	–	–
4.	ओए सं.228/2004 में सीपीसं.253/2005	हां	–	–	–
5.	ओए सं.1814/2005	हां	–	–	–
6.	ओए सं.2526/2005	हां	–	–	–
7.	ओए सं.2198/2005	हां	–	–	–
8.	ओए सं.510/2006	हां	–	–	–
9.	ओए सं.562/2006	नहीं	–	हां	नहीं
10.	ओए सं.307/2007	हां	–	–	–
11.	ओए सं.115/2007	हां	–	–	–
12.	ओए सं.73/2008	हां	–	–	–

अनुबंध–I

(पैरा 3.1.1)

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और उनकी लंबाई का राज्य वार ब्योरा

क्र सं0	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (किमी में)
1	आंध्र प्रदेश	4,5,7,9,16,18,18ए,43,63,202, 205,214,214,219,221,222 और 234	4537
2	अरुणाचल प्रदेश	52,52ए, और 153,229,52बी का विस्तार और 37 का विस्तार	1992
3	असम	31,31बी,31सी,36,37,37ए,38,39,44,51, 52,52ए,52बी,53,54,61,62,151,152, 153 और 154	2836
4	बिहार	2,2सी,19,28,28ए,28बी,30,30ए,31,57,57, 77,80,81,82,83,84,85,98,99,101,102, 103,104,105,106,107 और 110	3642
5	चंडीगढ़	21	24
6	छत्तीसगढ़	6,12ए,16,43,78,111,200,202,216, 217 और 221	2184
7	दिल्ली	1,2,8,10, और 24	72
8	गोवा	4ए,17,17ए, और 17बी	269
9	गुजरात	6,8,8ए,8बी,8सी,8डी,8ई,14,15,59,113, एनई– I और 228	3245
10	हरियाणा	1,2,8,10,21ए,22,64,65,71,71ए,71बी, 72,73,73ए और एनई– II	1512
11	हिमाचल प्रदेश	1ए,20,20ए,21,21ए,22,70,72,72बी,73, और 88	1409
12	जम्मू और कश्मीर	1ए,1बी,1सी और 1डी	1245
13	झारखंड	2,6,23,31,32,33,75,78,80,98,99 और 100	1805
14	कर्नाटक	4,4ए,7,9,13,17,48,63,67,206,207,209,212, 218 और 234	4396

15	केरल	17,47,47ए,47सी,49,208,212,213 और 220	1457
16	मध्य प्रदेश	3,7,12,12ए,25,26,26ए,27,59,59ए,69,75, 76,78,86 और 92	4670
17	महाराष्ट्र	3,4,4बी,4सी,6,7,8,9,13,16,17,50,69, 204,211और 222	4176
18	मणिपुर	39,53,150 और 155	959
19	मेघालय	40,44,51 और 62	810
20	मिजोरम	44,,54,54,,54बी,150 और 154	927
21	नगालैंड	36,39,61,150 और 155	494
22	उड़ीसा	5,5,,6,23,42,43,60,75,200,201,203, 203ए,215,217 और 224	3704
23	पुदुचेरी	45, और 66	53
24	पंजाब	1,1,,10,15,20,21,22,64,70,71,72 और 95	1557
25	राजस्थान	3,8,11,11ए,11बी,12,14,15,65,71बी, 76,79,79,,89,90,112,113,114 और 116	5585
26	सिक्किम	31,	62
27	तमिलनाडु	4,5,7,7,,45,45,,45बी,45सी,46,47,47बी, 49,66,67,68,205,207,208,209,210,219, 220,226,227, 230 और 234	4832
28	त्रिपुरा	44 और 44,	400
29	उत्तराखंड	58,72,72,, 72बी,73,74,87,94,108,109, 119,121,123 और 125	2042
30	उत्तर प्रदेश	2,2ए,3,7,11,12ए,19,24,24ए,24बी, 25,25ए,26,27,28,28बी,28सी,29,56,56ए, 56बी,58,72ए,73,74,75,76,86,87,91,91ए, 92,93,96,9,119,231,232,232ए,233, 235 और एनई–II	6774
31	पश्चिम बंगाल	2,2बी,6,31,31,,31सी,31डी,32,34, 35,41,55,60,60,,80,81 और 117	2578
32	अंडमान और निकोबार	223	300
		जोड़	**70548**

अनुबंध–II

(पैरा 3.1.21)

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII

स्टेंड अलोन रिंग रोडों, बाइपासों, उत्थापित सड़कों, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्षनों और फ्लाईआवरों के लिए शहरों की अनंतिम सूची

क्र सं.	शहरी परियोजना का नाम
1	हैदराबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
2	तिरुनेलवेली के लिए रिंग रोड/बाइपास
3	कानपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
4	रारा–75 पर रांची में ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
5	तिरुचिरापल्ली के लिए रिंग रोड/बाइपास
6	नासिक के लिए रिंग रोड/बाइपास
7	रारा–211 और रारा–9 के जंक्शन पर शोलापर में ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
8	चेन्नै के लिए रिंग रोड/बाइपास
9	जयपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
10	अमृतसर के लिए रिंग रोड/बाइपास
11	रारा–211 और 222 के जंक्शन पर पदालसिंगी और गांधी में ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
12	मदुरै के लिए रिंग रोड/बाइपास
13	पटना के लिए रिंग रोड/बाइपास
14	तिरुवनंतपुरम के लिए रिंग रोड/बाइपास
15	सूरत के लिए रिंग रोड/बाइपास
16	अलीगढ़ के लिए रिंग रोड/बाइपास
17	बंगलौर के लिए रिंग रोड/बाइपास
18	रारा–50 और 222 के जंक्शन पर अलेफता में ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर
19	अहमदाबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
20	विशाखापट्नम के लिए रिंग रोड/बाइपास
21	जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए रिंग रोड/बाइपास
22	कोलकाता के लिए रिंग रोड/बाइपास
23	उत्थापित लिंक रोड – चेन्नै पत्तन तक
24	मेरठ के लिए रिंग रोड/बाइपास
25	कोयम्बतूर के लिए रिंग रोड/बाइपास

26	भोपाल के लिए रिंग रोड/बाइपास
27	सलेम के लिए रिंग रोड/बाइपास
28	नागपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
29	इंदौर के लिए रिंग रोड/बाइपास
30	लखनऊ के लिए रिंग रोड/बाइपास
31	इम्फाल के लिए रिंग रोड/बाइपास
32	पुणे के लिए रिंग रोड/बाइपास
33	वाराणसी के लिए रिंग रोड/बाइपास
34	धनबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
35	रांची के लिए रिंग रोड/बाइपास
36	रारा–17 और 204 के जंक्शन पर रतनगिरी के निकट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन/फ्लाईओवर

अनुबंध–III

(पैरा 3.1.32)

2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन

(करोड़ रूपयें में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास		अनुरक्षण
		रारा	(मूल)	पीबीएफएफ
1	आंध्र प्रदेश	187.31	9.07	83.25
2	अरुणाचल प्रदेश	1.10	0.00	1.82
3	असम	86.30	1.96	40.20
4	बिहार	91.10	4.00	44.50
5	चंडीगढ़	3.39	0.00	0.68
6	छत्तीसगढ़	63.66	3.76	27.26
7	दिल्ली	15.80	0.00	0.00
8	गोवा	34.39	0.00	5.01
9	गुजरात	97.00	4.06	42.04
10	हरियाणा	103.23	0.00	19.64
11	हिमाचल प्रदेश	76.21	0.00	18.84
12	झारखंड	96.41	0.00	20.38
13	कर्नाटक	211.79	3.51	71.24
14	केरल	62.74	11.29	21.75
15	मध्य प्रदेश	92.97	5.68	48.66
16	महाराष्ट्र	187.90	9.00	62.92
17	मणिपुर	23.65	0.12	10.24
18	मेघालय	50.77	0.83	17.53
19	मिजोरम	13.55	0.00	9.20
20	नगालैंड	30.60	0.00	10.78
21	उड़ीसा	207.68	1.87	52.56

22	पुदुचेरी	2.95	0.00	1.10
23	पंजाब	154.00	2.77	25.58
24	राजस्थान	209.91	7.00	72.35
25	तमिलनाडु	131.96	0.00	49.40
26	उत्तर प्रदेश	215.64	7.00	55.22
27	उत्तरांचल	109.51	9.31	21.87
28	पश्चिम बंगाल	95.30	0.000	31.49
	राज्यों के लिए आरक्षित		8.77	8.63
	उप जोड़	2656.82	90.00	874.14
	रारा (मूल) कार्यों के लिए मंत्रालय की निधि से एनएचएआई को आबंटित धनराशि	159.00	70.00	
	गुजरात में दांडी हैरिटेज रूट	35.00		
	अन्य कार्य	2.92	3.83	
	जोड़	**2853.74**	**90.00**	**947.97**

अनुबंध–IV

(पैरा–5.1.3)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III

क्र.सं.	रारा सं.	शामिल राज्य	खंड/महामार्ग	लंबाई (किमी)
1	36 और 39	असम/नगालैंड	दाबोका – दीमापुर	124
2	39	नगालैंड/मणिपुर	कोहिमा – इम्फाल	140
3	44 और 53	मेघालय/असम/त्रिपुरा	शिलांग–चुरईबाड़ी (शिलांग बाइपास को छोड़कर)	252
4	54	असम/ मिजोरम	सिलचर (पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर)– आइजोल	190
			जोड़	**706**

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

अनुबंध–V

(पैरा 5.1.4)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत सड़कों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	कार्य की व्याप्ति	सड़क की श्रेणी	सड़क की लंबाई (किमी में लंबाई)
1	असम	नगांव से डिब्रुगढ तक 2 लेन के विद्यमान रारा 37 को 4 लेन का बनाना *(बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	301
2	मेघालय	रारा–40 और रारा–44 (2 लेन) को जोड़ते हुए नये शिलांग बाईपास का निर्माण *(बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	50
3	मेघालय	रारा–40 के विद्यमान 2 लेन के जोरबाट–बाड़ापनी खंड को 4 लेन का बनाना *(बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	62
4	नगालैंड	रारा–39 *पर दीमापुर/कोहिमा बाईपास सहित दीमापुर से कोहिमा तक 4 लेन बनाना (बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	81
5	असम	सिलचर बाईपास सहित रारा–36, 51, 52, 53, 54, 61,152, 153 और 154 के विद्यमान 2 लेन सड़क खंडों को पेव्ड शोल्डर सहित दोहरी लेन का बनाना ।	रारा	576
6	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम	मेघालय में जोवई बाईपास सहित रारा– 44, 53, 54 और 154 को 2 लेन का बनाना	रारा	180

7	मेघालय	रारा–40 के विद्यमान 2 लेन के बाड़ापनी–शिलांग खंड और शिलांग शहर में उपरि पुलों का सुधार	रारा	54
8	असम और अरुणाचल प्रदेश	डिब्रुगढ़ से रूपई तक रारा–37 को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना और पुनर्संरेखण करना तथा स्टिलवेल सड़क और रारा 38 को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना ।	रारा	161
9	त्रिपुरा	चुरई बाड़ी से सबरूम तक रारा–44 को 4 लेन का बनाना *(ईपीसी आधार पर निविदाएं आमंत्रित)*	रारा	330
10	असम और अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर के लिए 4 लेन का सड़क संपर्क	रारा 37ए, 52 और 52ए	150
11	असम	रारा–37 पर डिब्रुगढ बाईपास को 2 लेन का बनाना (ईपीसी आधार पर)	रारा	14
12	सिक्किम/ पश्चिम बंगाल	रारा–31ए के नाजुक खंडों का सुधार	रारा	–
13	सिक्किम/ पश्चिम बंगाल	गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग	242	
14	मणिपुर/नगालैंड	मणिपुर को नगालैंड राज्य से जोड़ने के लिए मारम से पेरेन तक राज्यीय सड़क को 2 लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	116
15	अरुणाचल प्रदेश	दुदुनघर से होते हुए लुमला से ताशीगौंग तक सड़क को 2 लेन का बनाना (भारत–भूटान सड़क)	राज्यीय सड़क	36
16	सिक्किम	गंगटोक से नाथुला तक विद्यमान एकल लेन की सड़क को 2 लेन का बनाना	जीएस सड़क	87
17	अरुणाचल प्रदेश	तलीहा–तातो सड़क और मिगिंग–बीले इंटर बेसिन सड़क का सुधार/2 लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	176
		कुल जोड़		**2616**

अनुबंध–VI

(पैरा 5.1.4)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के संषोधित चरण 'ख' के अंतर्गत सड़कों की सूची

क्र सं	सड़क की श्रेणी	सड़क क्षेत्र/खंड	राज्य	अनंतिम लंबाई (किमी)
I. राष्ट्रीय राजमार्ग				
1	रारा– 150	रारा– 150 के उखरूल से येगांगपोकपी खंड को दो लेन का बनाना	मणिपुर	92
2	रारा– 44ई	रारा– 44ई के नांगस्टोइन–शिलांग खंड को दो लेन का बनाना	मेघालय	83
3	रारा– 62	असम/मेघालय सीमा से डालू तक वाया बाघमारा, दो लेन बनाना	मेघालय	161
4	रारा– 54	रारा– 54 के आइजोल से तुईपांग खंड को दो लेन का बनाना	मिजोरम	380
5	रारा–44ए	11.500 से 130 किमी तक रारा–44 ए को दो लेन का बनाना	मिजोरम	119
6	रारा–54ए	रारा–54ए के लुंगलेई–थेरियट खंड को 2 लेन का बनाना	मिजोरम	9
7	रारा–54बी	रारा–54बी के जीरो प्वांइट से सेहा खंड को दो लेन का बनाना	मिजोरम	27
8	रारा– 61	असम/ नगालैंड सीमा से कोहिमा खंड को दो लेन का बनाना	नगालैंड	200
9	रारा– 150	कोहिमा से नगालैंड/मणिपुर सीमा खंड को दो लेन का बनाना	नगालैंड	132
10	रारा– 155	मोकोकचुंग से जेसामी खंड को दो लेन का बनाना	नगालैंड	340
11	रारा–44ए	मानू से त्रिपुरा/मिजोरम सीमा तक दो लेन बनाना/पुनर्संरेखण	त्रिपुरा	130
		जोड़ (I)		**1673**

II. राज्यीय सड़क				
12	राज्यीय सड़क	गोलाघाट – रंगाजन सड़क को दो लेन का बनाना	असम	7
13	राज्यीय सड़क	लुंमडिंग–दिफू–मांजा सड़क को दो लेन का बनाना	असम	56
14	राज्यीय सड़क	हाफलौंग–जतिंगा सड़क को दो लेन का बनाना	असम	8
15	राज्यीय सड़क	धुबरी–गोरीपुर सड़क को दो लेन का बनाना	असम	8–5
16	राज्यीय सड़क	बस्का–बमरा सड़क को दो लेन का बनाना	असम	25
17	राज्यीय सड़क	मोरीगांव–जागी सड़क को दो लेन का बनाना	असम	23
18	राज्यीय सड़क	बारपेटा–हौली सड़क को दो लेन का बनाना	असम	12
19	राज्यीय सड़क	गोलपाड़ा–सोलमारी सड़क को दो लेन का बनाना	असम	6–5
20	राज्यीय सड़क	कोकडाझार–करीगांव सड़क को दो लेन का बनाना	असम	18
21	राज्यीय सड़क	उदलगिरि–रौता सड़क को दो लेन का बनाना	असम	13
22	राज्यीय सड़क	हरंगजाओ–तुरुक से होते हुए बराक घाटी (सिल्चर)–गुवाहाटी सड़क के बीच वैकल्पिक मार्ग को दो लेन का बनाना	असम	285
23	राज्यीय सड़क	तमेंगलोंग–खोनसांग सड़क को दो लेन का बनाना	मणिपुर	40
24	राज्यीय सड़क	पलेल चंदेल सड़क को दो लेन का बनाना	मणिपुर	18
25	राज्यीय सड़क	नांगस्टोइन–रांगजेंग सड़क को दो लेन का बनाना	मेघालय	201
26	राज्यीय सड़क	विलियम नगर से नेंगखरा सड़क और अन्य सड़क को दो लेन का बनाना (14 और 8 किमी की संबंधित लंबाई के साथ दौतरफा संपर्क)	मेघालय	22

27	राज्यीय सड़क	दोमियासत एवं नांगस्टोइन के बीच सड़क को दो लेन का बनाना/मरम्मत/उन्नयन	मेघालय	54
28	राज्यीय सड़क	बोको (गुवाहाटी को बाइपास करते हुए) से नांगस्टोइन तक दो लेन की वैकल्पिक सड़क का निर्माण	मेघालय	125
29	राज्यीय सड़क	लंगलेई–दीमागिरि सड़क को दो लेन का बनाना	मिजोरम	92
30	राज्यीय सड़क	चंपई–थाउ सड़क को दो लेन का बनाना	मिजोरम	30
31	राज्यीय सड़क	फूटसिरों–झामई सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	18
32	राज्यीय सड़क	अतिबंग–खेलमा सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	55
33	राज्यीय सड़क	फेक–फूटसिरो सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	79
34	राज्यीय सड़क	लोंगलेंग – चांगतोंग्या सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	35
35	राज्यीय सड़क	तमलू–मेरांगकांग सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	50
36	राज्यीय सड़क	पेरेम–कोहिमा सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	96
37	राज्यीय सड़क	तारकू–नाममी सड़क को दो लेन का बनाना	सिक्किम	32
38	राज्यीय सड़क	ग्यालाशिंग–शिंगतम सड़क को दो लेन का बनाना	सिक्किम	80
39	राज्यीय सड़क	कैलाशहर–कुमारघाट सड़क को दो लेन का बनाना	त्रिपुरा	26
40	राज्यीय सड़क	कुकीताल से सबरूम तक सड़क का सुधार	त्रिपुरा	310
		जोड़ (II)		**1825**

III. जीएस सड़क				
41	जीएस सड़क	चंपई–सेलिंग सड़क को दो लेन का बनाना	मिजोरम	150
42	जीएस सड़क	जुनहेबोतो–चकबामा सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	128
43	जीएस सड़क	मोन–तमलू सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	50
44	जीएस सड़क	गंगटोक–मंगम सड़क को दो लेन का बनाना	सिक्किम	68
		जोड़ (III)		**396**
IV. सामरिक सड़कें				
45	भारत–म्यांमार सड़क	विजयनगर–मिआओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	157
46	भारत–म्यांमार सड़क	मिआओ–नमचिक सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	17
47	भारत–म्यांमार सड़क	चांगलोंग से खिमयांग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	35
48	भारत–म्यांमार सड़क	खिमियांग से सांगकुहावी सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	33
49	भारत–म्यांमार सड़क	सांगकुहावी–लाजू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	40
50	भारत–म्यांमार सड़क	लाजू–वक्का सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	75

51	भारत–म्यांमार सड़क	वक्का–खानू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	21
52	भारत–म्यांमार सड़क	खाणू–कोणसा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	30
53	भारत–म्यांमार सड़क	कोणसा–पंचाओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	29
54	भारत–म्यांमार सड़क	पंचाओ–नगालैंड सीमा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	25
55	राज्यीय सड़क	यांगकियांग से विशिंग (पोरगो वाया गेट्टे–पोगिंग–लिकोर–पालिंग–जीदो) सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	160
56	राज्यीय सड़क	जीदो–सिंघा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	94
57	राज्यीय सड़क	पांगो–जोरगिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	90
58	राज्यीय सड़क	सरकम प्वाइंट–सिंगा वाया इको–डोम्पिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	125
		जोड़ (IV)		**931**
		जोड़ (I+II+III+IV)		**4825**

अनुबंध -VII

(पैरा 5.1.4)

सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज की सुपुर्दगी की विधि और ब्यौरा

क. दो लेन बनाने के सुधार कार्य के लिए ट्रांस अरूणाचल राजमार्ग के अंतर्गत आने वाली सड़कें

क्र.सं.	सड़क खंड	अनंतिम लंबाई (किमी.)	सुपुर्दगी की विधि
1.	नेचीचू–सेपा सड़क रारा 229	99	वार्षिकी
2.	सेपा–खोदसो रारा 229	110	वार्षिकी
3.	खोदासो–खील–होज, वाया सगली रारा 229	102	वार्षिकी
4.	होज–पोतिन रारा 229	20	ईपीसी
5.	पोतिन–यजली–जिरो रारा 229	71	वार्षिकी
6.	जिरो–दापोरिजो रारा 229	160	वार्षिकी
7.	दोपोरिजो–बामे रारा 229	108	वार्षिकी
8.	बामे–आलो रारा 229	42	वार्षिकी
9.	आलो–पानगिन रारा 229	26	वार्षिकी
10.	पानगिन–पासीघाट रारा 229	84	ईपीसी
11	पासीघाट से महादेवपुर रारा 52		
	(i) देवांग घाटी का बड़ा पुल, अलुबरीघाट में बड़े पुल को शामिल करते हुए दिगारू से चौखम तक पुनर्संरेखण के विकल्प के साथ सड़कों को जोड़ने वाला	30	वार्षिकी
	(ii) उपर्युक्त (i) में शामिल लंबाई को छोड़ने के पश्चात् शेष खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना	140	ईपीसी
12.	महादेवपुर–बोर्दुमसा–नमचिक–जयरामपुर–ममाओ रारा 52 बी	97	ईपीसी
13.	ममोओ–चांगलांग रारा 52 बी	42	ईपीसी
14.	चांगलांग–खोनसा रारा 52 बी	67	ईपीसी
15.	तीस–लांगडिंग–कानुबाड़ी 52 बी	48	ईपीसी
16.	तीसा–लांगडिंग–कनुबाड़ी रारा 52 बी	80	ईपीसी

17.	कनुबाड़ी–बिमलापुर रारा 52 बी	16	ईपीसी
18.	असम में रारा 52 बी पर बिमलापुर से रारा–37 लिंक	70	ईपीसी
	जोड़ (क)	**1412**	

ख रारा 37 और रारा 52 का मिसिंग लिंक

क्र.सं.	सड़क खंड	अनंतिम लंबाई(किमी.)	डिलीवरी की विधि
1.	रारा 37 पर धोला और सादियाघाट के बीच मिसिंग पुल और उसके पहुंच मार्ग	28	वार्षिकी
2.	सादिया और शांतिपुर होते हुए इस्लामपुर तिनाली से रोइंग तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाना	32	ईपीसी
	जोड़ (ख)	**60**	

ग अरुणाचल प्रदेश के 5 जिला मुख्यालयों के लिए दो लेन का सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु राज्यीय सड़कों को दो लेन स्तर का बनाना

क्र.सं.	सड़क खंड	अनंतिम लंबाई(किमी.)	सुपुर्दगी की विधि
1.	कोलोरियांग–जोराम सड़क	158	ईपीसी
2.	यांगकियांग–मरियंग–पासीघाट सड़क	140	ईपीसी
3.	अनिनी–मेका सड़क	235	ईपीसी
4.	हवाई–हवा कैंप सड़क	165	ईपीसी
5.	हौज–लेकाबाली–अकजान सड़क	35	ईपीसी
6.	बेम–लेकाबाली–अकजान सड़क	114	ईपीसी
	जोड़ (ग)	**847**	
	कुल जोड़ (क + ख + ग)	**2319**	

अनुबंध – VIII
(पैरा 9.1.2)

अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

31.3.2009 की स्थिति के अनुसार

तकनीकी

समूह	संस्वीकृत संख्या	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या के मुकाबले प्रतिशत
समूह क	207	169	24	14–2	10	5–9
समूह ख	81	63	13	20–6	05	7–9
समूह ग	10	05	01	20	(और)	(और)
जोड़	298	237	38	16	15	6–3

गैर–तकनीकी

समूह	संस्वीकृत संख्या	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या के मुकाबले प्रतिशत
समूह क	44	35	05	14–2	(और)	(और)
समूह ख	218	211	33	15–6	08	3–8
समूह ग	245	177	33	18–6	10	5–6
जोड़	203	183	66	36	09	4–9
समूह क	710	606	137	22–6	27	4–5
कुलजोड (तकनीकी व गैर तकनीकी)	1008	843	175	20–8	42	05

अनुबंध – IX

(अध्याय X)

नि:शक्त व्यक्ति

(31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार)

तकनीकी

समूह	संस्वीकृत संख्या	नियुक्त किए गए नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या
समूह क	207	–
समूह ख	81	01
समूह ग	10	–

गैर– तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	नियुक्त किए गए नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या
समूह क	44	–
समूह ख	218	–
समूह ग	245	05
समूह घ	203	04

अनुबंध X

(पैरा 13.1.5)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

1. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:

(करोड़ रुपए)

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार आदि शेष	**323.03**
2007–08 के दौरान प्राप्तियां	80.00
2007–08 के दौरान भुगतान	61.58
31.3.2008 की स्थिति के अनुसार अंत शेष	**341.45**

2. केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ):

(करोड़ रुपए)

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार आदि शेष	**3765.61**
2007–08 के दौरान प्राप्तियां	8280.31
2007–08 के दौरान भुगतान	7994.55
(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान + प्रबंधन व्यय)	–
31.3.2008 की स्थिति के अनुसार अंत शेष	**4051.37**

अनुबंध XI

(पैरा 13.1.6)

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुदान

(करोड़ रुपए)

अनुदान सं. और नाम		बजट प्राक्कलन	पूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण
अनुदान सं– 85	राजस्व लेखा	12004.70	161.88	12166.58	11830.70	335.88	22.38
	पूंजी लेखा	12681.18	0.51	12681.69	12505.64	176.05	110.47
जोड		**24685.88**	**162.39**	**24848.27**	**24336.34**	**511.93**	**132.85**

स्रोतः विनियोजन लेखा 2007–2008

अनुबंध XII क

(पैरा 13.1.6)

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	2005–2006	2006–07	2007–08
1	0021 – नैगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर	35.71	37.58	45.05
2	0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुक्ल	–	–	–
3	0049 – ब्याज की प्राप्तियां	193.41	135.92	201.10
4	0050 – लाभांश और लाभ	– –	––	
5	0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं	–––		
6	0071 – पेशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	0.28	0.44	0.36
7	0075 – विविध सामान्य सेवाएं	1.45	1.79	1.59
8	0210 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	0.08	0.08	0.09
9	0216 – आवास	0–09	0.10	0–10
10	0852 – परिवहन उपस्कर सेवाएं	–	–	–

11	1054 – सड़क और पुल	94.7699.66	111.51	
12	1055 – सड़क परिवहन	0.52	0.02	0.01
13	1475 अन्य सामान्य आर्थिक संवाएं	0.07	0.04	0.01
	जोड़ (राजस्व प्राप्तियां)	**326.37**	**275.63**	**359.82**

पूंजीगत प्राप्तियां

क्र. सं	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08
1	7075 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	100.77152.53	861.74	
2	7601 राज्य सरकार को ऋण तथा अग्रिम	17.48	17.26	17.45
3	7602 संघ राज्य क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम	–	–	–
3	7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.61	0.67	0.58
	जोड़ (पूंजीगत प्राप्तियां)	**118.86**	**170.46**	**879.77**
	कुल जोड़	**445.23**	**446.09**	**1239.59**

अनुबंध–XII ख

(पैरा 13.1.6)

2007–2008 के दौरान धनराशि का प्रयोग सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्रालय राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

विवरण	2005–06			2006–07			2007–08		
	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़
2049– ब्याज का भुगतान		2.39	2.39		2.79	2.79	––	3.31	3.31
2071– पेंशन का भुगतान (एम2071)		1.24	1.24		2.16	2.16	––	3.26	3.26
2225– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			–					0.80	0.80
2235––सामाजिक, सुरक्षा एवं कल्याण		0.02	0.02		0.24	0.24	––	0.01	0.01

3054––सड़क एवं पुल	4979.69	902.64	5882.33	8117.30	845.94	8963.24	8280.86	1034.41	9315.27
3055– सड़क परिवहन	27.70		27.70	40.00		40.00	45.45	––	45.45
3451––सजि. आर्थिक सेवाएं		25.79	25.79		26.55	26.55	––	28.33	28.33
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	0.86		0.86	27.89		27.89	40.52	––	40.52
3602––संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	–	–	–	–	–	–			
3605 – अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग		**0.03**	**0.03**		–	–			
राजस्व व्यय	**5008.25**	**932.11**	**5940.36**	**8185.19**	**877.68**	**9062.87**	**8366–83**	**1070.12**	**9436.95**

पूंजी व्यय

विवरण	2005–06			2006–07			2007–08		
5054– सड़क एवं पुल	2582.67	–	2582.67	3621.05		3621.05	4221.20	––	4221.20
7075– अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	360.50	–	360.50	395.50		395.50	444.00	––	444.00
7610– सरकारी कर्मचारियों को ऋण	–	0.65	0.65		0.36	0.36	––	0.29	0.29
पूंजी व्यय	**2943.14**	**0.65**	**2943.79**	**4016.55**	**0.36**	**4016.91**	**4665.20**	**0.29**	**4665.49**
कुल जोड़ (राजस्व+पूंजी व्यय)	**5788.35**	**774.93**	**6563.28**	**12201.74**	**878.04**	**13079.78**	**13032.03**	**1070.4**	**14102.44**